

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II
पाटो प्लाजा, पणजी-403001

सार्वजनिक सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

निविदा सं. - आरबीआई/पणजी क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/ 2/ 25-26/ ET/ 257[हाउसकीपिंग टेंडर]

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई /बैंक), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय उपर्युक्त विषय पर दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर “निविदाएँ” लिंक पर जाएँ। MSTC पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त, 2025 (1700 बजे) है। आरबीआई बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि कोई शुद्धिपत्र है, तो उसे केवल ऊपर उल्लिखित आरबीआई /MSTC वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई पणजी

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, पणजी ने इच्छुक पार्टियों को अनुबंध पर पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित सूचना तैयार करते समय उचित सावधानी बरती है और यह विश्वास किया है कि यह क्रम में है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से कोई भी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देता है या कोई भी प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्त या निहित करता है या इससे संबंधित अन्य जानकारी देता है।

जानकारी संपूर्ण होने का वायदा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध को आगे न बढ़ाने या अनुबंध के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो रुचि व्यक्त करता है। किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को नहीं दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विज़िटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II
पाटो प्लाजा, पणजी-403001

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैट्स में हाउसकीपिंग सेवाओं और बैंक के विज़िटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधा प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-टेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय शीर्षक विषय पर दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. अनुबंध छह महीने की अवधि के लिए होगा, यानी 01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक, जिसमें आपसी सहमति से तय नियमों और शर्तों के साथ अधिकतम दो साल (31 मार्च 2028 तक) के लिए अनुबंध के नवीनीकरण का प्रावधान है, एक बार में एक साल की अवधि के लिए यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक और 01 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 तक, बशर्ते मौजूदा समझौते की समाप्ति के समय आरबीआई पणजी आरओ द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन हो। अपेक्षित अनुबंध मूल्य ₹53,00,000/- (केवल तिरपन लाख रुपये) है। एमएसटीसी पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त, 2025 (1700 बजे तक) है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "टेंडर" लिंक पर जाएँ।

3. निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है: www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले उपरोक्त वेबसाइटों पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की नियमित रूप से जांच करें। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आरबीआई के पास निविदा को रद्द करने, संशोधित करने और बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अलावा, बैंक किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा
निविदा अनुसूची (एसओटी)

1.	ई-निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधा प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-टेंडर
2.	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/पणजी क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/ 25-26/ ET/ 257[हाउसकीपिंग टेंडर]
3.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम – ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली https://www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से)
4.	ई-टेंडर आमंत्रण सूचना की तिथि पार्टियों को देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध	03 जुलाई 2025 (1700 बजे)
5.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि	30 जुलाई 2025 (1100 बजे)
6.	प्री-बिड मीटिंग का स्थान	7 वीं मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, गेरा इम्पेरियम-II, पट्टो प्लाजा, पणजी - 403001
7.	टेंडर का अनुमानित मूल्य	₹53,00,000/- (केवल तिरपन लाख रुपये) प्रति वर्ष जीएसटी को छोड़कर
8.	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी वेबसाइट के अनुसार
9.	एमएसटीसी ई-कॉमर्स (https://www.mstcecommerce.com/eproc /आरबीआई) पर ई-टेंडर (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की शुरुआत की तिथि	23 जुलाई 2025 (11.00 बजे से)
10.	प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि	23 जुलाई 2025 (1100 बजे)
11.	भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि व समय	11 अगस्त 2025 (1730 बजे)
12.	भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को बोलीदाताओं द्वारा प्रदान किए गए ईमेल के माध्यम से भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

13.	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) ₹1,06,000/- (एक लाख छह हजार रुपये मात्र) कुल अनुबंध मूल्य का 2% है, जिसे प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एनईएफटी के रूप में 11 अगस्त, 2025 (1300 बजे तक) से पहले एनईएफटी के माध्यम से देय जमा किया जाएगा। इस शर्त का पालन करने में विफलता से निविदा शून्य हो जाएगी और निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यह काम देने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता के मामले में, निविदा देने की तारीख से 07 दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक (1) महीने की अवधि के भीतर वैध बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। यदि बोलीदाता निविदा वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या कार्य सौंपे जाने की तिथि से 07 दिनों के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
14.	ईएमडी का विवरण	₹1,06,000/- (केवल एक लाख छह हजार रुपये) खाते का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी खाता संख्या: 186003001 आईएफएस कोड: RBIS0PJPA01 नोट- कृपया IFS कोड के ऊपर दिए गए 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" पढ़ें।
15.	एनईएफटी विवरण (ईएमडी रिफंड के लिए)	सभी बोलीदाताओं द्वारा प्रदान किया जाना है। NEFT हस्तांतरण की पुष्टि करने वाला ई-मेल allotmentpanaji@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है और CC pulkitagrawal@rbi.org.in पर kartikg@rbi.org.in पर सफल बोलीदाता की ईएमडी वैध बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के बाद वापस कर दी जाएगी, जिसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

		से एक (1) महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि, असफल बोलीदाता की ईएमडी कार्य के पुरस्कार की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर इस संबंध में देय किसी भी ब्याज के बिना वापस कर दी जाएगी।
16.	अनुबंध की वैधता	01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के साथ और आरबीआई पणजी द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर 31 मार्च 2028 तक वार्षिक रूप से विस्तार योग्य।
17.	संचार के लिए पता	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक 7वीं मंजिल, गेरा इम्पेरियम II पैटो, पणजी- 403001

- उपर्युक्त दिनों में से किसी भी दिन अप्रत्याशित रूप से कार्य बंद होने/छुट्टी होने की स्थिति में, उसे अगले कार्य दिवस पर खोला/आयोजित किया जाएगा।
- नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का पालन न करने वाली निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं।
- किसी भी समस्या/विवाद की स्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई पणजी का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- आरबीआई बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in और एमएसटीसी पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई, पणजी

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

विषयसूची

अनुभाग/अनुबंध	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
भाग I		
खंड I	ई-टेंडर के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश	10-14
खंड II	तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश	15-29
खंड III	निविदा का प्रपत्र	30-34
खंड IV	समझौते के लेख	35-53
खंड V	अनुबंध के नियम और शर्तें	54-59
खंड VI	मूल्यांकन मानदंड	60
खंड VII	कार्य का दायरा	61-78
खंड VIII	निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	79-81
अनुलग्नक I-XIII	डेटा सबमिशन प्रारूप	82-95
भाग II		
खंड I	वित्तीय बोली	96-97
खंड II	नमूना गणना पत्रक	98-99

निविदा से संबंधित परिभाषाएँ

1. जब तक उपयोग के विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उपयोग किए गए निम्नलिखित पदों का अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपा जाएगा।
2. निविदा दस्तावेज में आने वाले अभिव्यक्ति "बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक होगा।
3. अभिव्यक्ति "बोलीदाता" का अर्थ होगा निविदाकर्ता जो कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करता है और इसमें निविदाकर्ता का उत्तराधिकारी और अनुमत प्रतिनिधि शामिल होगा।
4. अभिव्यक्ति "ठेकेदार/विक्रेता" का अर्थ होगा बैंक द्वारा विषय कार्य करने के लिए चयनित सफल बोलीदाता और बोलीदाता का उत्तराधिकारी और अनुमत प्रतिनिधि शामिल होगा।
5. "कार्य", "कार्य का व्यापक दायरा" और "कार्य का दायरा" का अर्थ होगा अनुबंध में परिकल्पित अभिव्यक्ति या निहितार्थ द्वारा कार्य/सेवाओं और भोजन और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की समग्रता और इसमें प्रारंभ, प्रदर्शन, प्रावधान या पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, उपकरण और श्रम और समय-समय पर जोड़ा जाने वाला कोई अन्य कार्य शामिल होगा।
6. "परिसर" का अर्थ होगा बैंक का कार्यालय परिस, 7 वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पणजी, बैंक के पट्टे पर फ्लैट और क्वार्टर, बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, सेंट इनेज़, पणजी।
7. "संविदा" से कार्य के लिए संविदा अभिप्रेत होगी और इसमें निविदा दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक के संविदा के विनिर्देश, सामान्य और विशेष शर्तें, स्वीकृति पत्र और मूल्य बोली आदि में स्वीकार्य दरें/मात्राओं का बिल शामिल होगा।
8. भोजन में भोजन कक्ष/रसोईघर से दोपहर का भोजन, चाय/कॉफी, स्नैक्स आदि सहित सभी आदान शामिल होंगे, जिसमें विभिन्न अवसरों पर विशेष व्यवस्था के तहत ठेकेदार द्वारा परोसे जाने वाले आदान भी शामिल हैं।
9. "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ होगा क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक पणजी या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी जो इस कार्य/निविदा जो की बैंक की सुविधाओं पर सुविधाएं प्रबंधन और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) सेवाओं के संबंध में है।

भाग I

खण्ड- I

ई-टेंडरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), पणजी का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस और बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ बोलीदाता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। बोलीदाता के पास तृतीय श्रेणी हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोली लगाने वालों को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, पणजी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है (बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दर्ज नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर ऑनलाइन जमा की जानी है ।

बोलीदाताओं को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग → आरबीआई रजिस्टर के साथ विवरण भरकर और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर 'विक्रेता' के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है → जमा करें।

बोलीदाताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई पणजी से संपर्क करें, (ई-निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि/समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक, ईमेल आईडी - wroopn11@mstcindia.in , मोबाइल: 7651915418/8349894664 (ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)।

ईमेल आईडी - hepldeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, पणजी):

i) श्री पुलकित अग्रवाल (सहायक महाप्रबंधक), एचआरएमडी, आरबीआई, पणजी

दूरभाष: 0832-2467 840 ईमेल आईडी: pulkitagrawal@rbi.org.in

ii) श्री कार्तिक एस गोखले (सहायक प्रबंधक), एचआरएमडी, आरबीआई, पणजी

दूरभाष: 0832-2467848 ईमेल आईडी: kartikg@rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

2. सिस्टम आवश्यकताएँ:

- I. विंडोज XP-SP3 और इसके बाद के संस्करण / विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
- II. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र
- III. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- IV. JRE-7 अपडेट 9 और इसके बाद के संस्करण के सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। ई) डीएससी के लिए "संरक्षित मोड" को साइनर बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं। इंटरनेट विकल्प > उपकरण > सुरक्षा > संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है - यानी "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक हटा दें।

अन्य सेटिंग्स: उपकरण > इंटरनेट विकल्प सामान्य > > "ब्राउज़िंग इतिहास / ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय > है। सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और कस्टम स्तर के > उपकरण > इंटरनेट विकल्प के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से IE सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)

अधिक जानकारी के लिए, बोलीदाता सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता गाइड और

<https://www.mstcecommerce.com/eproc> पर उपलब्ध एफएक्यू का उल्लेख कर सकता है।

3. मूल्य बोली <https://www.mstcecommerce.com/eproc> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है। निविदाएं निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

4. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय / मूल्य प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

5. लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट: बोलीदाता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। बोलीदाताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। बोली लगाने वाले को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, बोलीदाता एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेगा। बोलीदाता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में परिवर्तन किए बिना प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, बोलीदाता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और बोलीदाता को सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

6. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है: एक बोली लगाने वाले को लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क को अच्छी तरह से प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके। निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में सूचना केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ बोलीदाता के पंजीकरण के समय प्रदान

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

किया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

7. ई-निविदा में बोली:

बोलीदाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक बयाना धन जमा (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। ₹1,06,000/- (रुपये एक लाख छह हजार केवल) की राशि के लिए ईएमडी आरबीआई, पणजी को प्रेषित किया जाना है, ताकि आरबीआई पणजी को 11 अगस्त, 2025 (1300 बजे तक) तक प्राप्त किया जा सके। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार हैं।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी

आईएफएससी : RBIS0PJPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य के रूप में पढ़ें)

खाता सं. : 186003001

लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण के प्रमाण को pulkitagrawal@rbi.org.in को ई-मेल करें। और kartikg@rbi.org.in

आरबीआई द्वारा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) की ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रदान किए जाने की तारीख के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली/वित्तीय बोली www.mstcecommerce.com → सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों → ई-प्रापण प्रस्तुत कर सकते हैं। → आरबीआई → My menu → Auction Floor Manager → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट के चयन के तहत लॉगिन करें।

बोलीदाता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना है। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होंगे और उसी को सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें, यदि लागू हो। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है तो / बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली को बचाने / जमा करने में सक्षम नहीं होगा।

तकनीकी बोली (यदि लागू हो) भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए 'बचत' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए अंतिम सबमिशन बटन पर क्लिक कर सकता है।

बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक' बटन का उपयोग करें। कई

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसी की स्वीकृति बाद में आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच उस प्रभाव के अनुबंध के निष्पादन द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।

1. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. खरीदार रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि मामला हो सकता है, बिना कोई कारण बताए।
3. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

8. किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में कोई विचलन की अनुमति नहीं है। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख बढ़ाने का अधिकार है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने वाले गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए पृष्ठ <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> में वीडियो देखें।

खंड II

तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश

A. तकनीकी बोली (भाग I)

बैंक के कार्यालय में और बैंक के क्वार्टरों और पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए 365*24*7 आधार पर ई-निविदा। यह अनुबंध 01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक वैध होगा और यहां उल्लिखित पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के साथ 31 मार्च, 2028 तक आगे की अवधि के लिए वार्षिक रूप से नवीकरणीय होगा और बैंक द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

मुख्य कार्यालय	7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा, पणजी
सेंट इनेज़ क्वार्टर	04 विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, 04 ट्रांजिट हॉलिडे होम, 02 एसआरए, 01 ओआईसी बंगला, 01 बैंक फ्लैट
पट्टे पर फ्लैट्स	पणजी शहर में और उसके आसपास

- बोलीदाता ई-निविदा के संबंध में निर्देशों के अनुसार, 11 अगस्त, 2025 (1700 बजे तक) से पहले सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाता (बोलीदाताओं) को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण ₹ 1,06,000/- (एक लाख छह हजार रुपये केवल) के वापसी योग्य ईएमडी के साथ ई-निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसके बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- इच्छुक बोलीदाताओं की बोली पूर्व बैठक 30 जुलाई, 2025 (1100 बजे) को एचआरएमडी, सम्मेलन कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, 7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा, पणजी में आयोजित की जाएगी। बैंक निविदा के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करेगा। इस बैठक के लिए बैंक द्वारा तारीख या समय में परिवर्तन के अलावा कोई अलग संचार जारी नहीं किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट पर प्रचारित किया जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। वे उन बिंदुओं / शर्तों / विनिर्देशों को ई-मेल आईडी allotmentpanaji@rbi.org.in पर अग्रिम रूप से इंगित कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यदि कोई मुद्दे हैं तो उन्हें बैठक में स्पष्ट किया जाएगा। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दें। बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी और स्पष्टीकरण/संदेह पर विचार नहीं किया जाएगा।
- भाग-I (तकनीकी बोली) 11 अगस्त, 2025 को (1730 बजे पर) इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस उसमें उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी तारीख बन जाएगा।
- निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है या

www.mstcecommerce.com । इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जारी किए गए किसी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए निविदाकर्ता को नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

5. निविदा प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता कार्य के विस्तृत दायरे, समझौते के लेख और यहां निर्दिष्ट नियमों और शर्तों को समझ सकते हैं, जिस पर बैंक द्वारा कार्य प्रदान किया जाएगा और सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। बोलीदाता उसमें निर्धारित पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। बोली-पूर्व बैठक के दौरान को छोड़कर इस संबंध में किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल बोलीदाता के साथ समझौते को निष्पादित करने के समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों या इसमें निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए सहमत होने या बोलीदाता को लागू करने या आवश्यक बनाने से नहीं रोकेगा।
6. बोलीदाता का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपलोड करने से पहले निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
7. सुधार, यदि कोई हो, उद्धरण में विधिवत पूर्ण हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
8. पहले चरण में, तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी। किसी भी बोलीदाता की बोली, जिसने निविदा दस्तावेज में नियमों और शर्तों में निर्धारित शर्तों में से एक या अधिक का अनुपालन नहीं किया है, सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद, चयनित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।
9. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले कार्य स्थल का दौरा करें, निरीक्षण करें और कार्य को समझें। बैंक द्वारा विधिवत प्राप्त अपनी बोली प्रस्तुत करने के बाद, यह माना जाएगा कि उन्होंने साइट का दौरा किया है और निविदा में कार्य के दायरे को स्पष्ट रूप से समझ लिया है।
10. सूचना के जालसाजी/छिपाव से बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया जाएगा अथवा संविदा की अवधि के दौरान कार्य सौंपे जाने के बाद भी संविदा रद्द की जाएगी।
11. प्रत्येक बोलीदाता (स्वामित्व / साझेदारी फर्म / कंपनी / संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम के मामले में प्रत्येक सदस्य) को अपनी बोली के साथ पुष्टि करने और घोषित करने की आवश्यकता है कि कोई एजेंट, बिचौलिया या कोई मध्यस्थ इस अनुबंध के पुरस्कार और प्रदर्शन से संबंधित कोई भी सेवाएं, या कोई अन्य मद या कार्य प्रदान करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। उन्हें आगे पुष्टि करनी होगी और घोषणा करनी होगी कि किसी भी एजेंसी कमीशन या कोई भी भुगतान जिसे एजेंसी कमीशन के रूप में माना जा सकता है का भुगतान नहीं किया जाएगा, और निविदा मूल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी। यदि बैंक बाद में इसके विपरीत पाता है, तो यह बोलीदाता को गैर-अनुपालन के रूप में घोषित करने और बोलीदाता को पहले से ही दिए गए किसी भी अनुबंध को शून्य और शून्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा प्रचार करना या लाभ की पेशकश करना या कोई अन्य प्रलोभन देना उस मामले में लागू संगत कानूनों के अंतर्गत अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली की अस्वीकृति होगी।

13. बैंक अपने ग्राहकों से बोलीदाता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं की वित्तीय बोली खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि किसी बोलीदाता के पास निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो किसी भी समय और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक के पास उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और उसकी ईएमडी कार्य सौंपने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
14. यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही कानूनी अनुबंध है, बल्कि संभावित ठेकेदारों के लिए एक निमंत्रण प्रस्ताव है। बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व इस निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी और ठेकेदार द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता के प्रस्ताव की तैयारी बैंक द्वारा निविदा में शामिल किसी भी मद को प्राप्त करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना की जाएगी, या उन कारणों पर चर्चा करने के लिए कि बोलीदाता का प्रस्ताव क्यों स्वीकार या अस्वीकार किया गया है। बोलीदाता द्वारा अपने प्रस्ताव में दी गई सभी सूचनाओं को पूर्णतः गोपनीय माना जाएगा।
15. तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों बोलियों में बोलीदाता द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
16. निविदा की तकनीकी बोली (भाग-I) खोलने की तारीख से 90 दिनों तक या निविदा को अंतिम रूप देने की तारीख तक, जो भी पहले हो, स्वीकृति के लिए खुली रहेगी।
17. बैंक पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर आगे की अवधि के लिए अनुबंध का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि ठेकेदार समझौते के संदर्भ में अपने किसी भी दायित्व / कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अनुबंध को बैंक द्वारा बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।
18. बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
19. यदि बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निहित किसी चीज के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो वह बोली पूर्व बैठक के दौरान स्पष्टीकरण मांगेगा। बोलीदाता और बैंक के बीच सभी संचार लिखित रूप में किए जाएंगे। बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त यथासमय बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। बैंक द्वारा ऐसे किसी भी लिखित स्पष्टीकरण को छोड़कर, जिसे स्पष्ट रूप से उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय द्वारा जारी निविदा दस्तावेज का परिशिष्ट कहा गया है, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कोई लिखित या मौखिक संचार, प्रस्तुति या स्पष्टीकरण अनुबंध के तहत बैंक को बाध्य या बाधित करने के लिए नहीं लिया जाएगा।
20. निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड –
कार्य/अनुबंध की अनुमानित लागत लगभग है ₹53,00,000/- (केवल तिरपन लाख रुपये) जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष। तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। बोलियां नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार होंगी। दस्तावेजी

साक्ष्य/घोषणा नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के लिए अपलोड/प्रदान की जा सकती है, जिसके अभाव में, बोली अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी है:

क्रमांक	न्यूनतम मानदंड	संलग्न किया जाने वाला दस्तावेज
1.	बोलीदाता को गेस्ट हाउसों की प्रबंधन और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) सेवाएं प्रदान करने या होटल हाउसकीपिंग और प्रबंधन (न्यूनतम 3 सितारा और ऊपर) / हाउसकीपिंग सेवाओं के व्यवसाय में 31 मार्च, 2025 को न्यूनतम पांच (05) वर्षों के लिए होना चाहिए, जिसमें 10 श्रमिकों की न्यूनतम तैनाती अधिमानतः सभी श्रेणियों की जनशक्ति आवश्यकता से होनी चाहिए जैसा कि कार्य के खंड-VII दायरे में उल्लिखित है। हालांकि, केवल पांच साल के अनुभव (गैर-लगातार) वाली फर्मों के लिए, यह पिछले सात वर्षों के भीतर होना चाहिए। विक्रेता के समान कार्यों को स्वीकार करने का अधिकार बैंक के पास होगा।	1. अनुबंध II में संलग्न प्रारूप के अनुसार कंपनी लेटर हेड पर कंपनी प्रोफाइल संलग्न करें। 2. कृपया प्रासंगिक दस्तावेज को एक प्रमाण के रूप में संलग्न करें कि फर्म उल्लिखित अवधि के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं में है (31 मार्च, 2025 से पहले के हस्ताक्षर के साथ कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे)। विवरण अनुलग्नक III में सभी सहायक दस्तावेजों के साथ ठीक से संलग्न किया जाएगा और "अनुभव मानदंड" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
2.	वेंडर/फर्म/3 स्टार और उससे ऊपर के होटल जिनके पास समान सेवाओं (हाउसकीपिंग सेवाओं) को करने का न्यूनतम पांच (05) वर्ष का अनुभव है और जो निम्नलिखित में से किसी भी योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं, निविदा के लिए पात्र हैं: (i) 31 मार्च, 2025 (01 अप्रैल, 2022 से आगे) को समाप्त पिछले 3 वर्षों में व्यक्तिगत रूप से ₹42.40/- लाख (रुबयालीस लाख चालीस हजार केवल) से कम नहीं, यानी कुल अनुबंध मूल्य का 80% की लागत वाली एक समान सेवा करनी चाहिए। नहीं तो (iii) 31 मार्च, 2025 (01 अप्रैल, 2022 के बाद) को समाप्त पिछले 3 वर्षों में व्यक्तिगत रूप से ₹26.50 लाख (रुबुब्बीस लाख पचास हजार केवल) से कम नहीं यानी कुल अनुबंध मूल्य का 50% की लागत वाली दो समान सेवाओं को ले जाना चाहिए। नहीं तो	कृपया प्रासंगिक दस्तावेज को एक प्रमाण के रूप में संलग्न करें कि फर्म उल्लिखित अवधि के लिए व्यवसाय में है (31 मार्च, 2025 से पहले के हस्ताक्षर के साथ कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे)। निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं: 1. कार्यक्षेत्र। 2. अनुबंध मूल्य। 3. सं. संविदा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या। 4. अनुबंध की अवधि। 5. अनुबंध शुरू होने की तारीख 6. अनुबंध के पूरा होने की तिथि 7. मासिक भुगतान 8. संतोषजनक रिपोर्ट (संबंधित इकाई के संपर्क विवरण के साथ) 9. यदि प्रधान नियोक्ता एक निजी भागीदार है, तो प्रासंगिक टीडीएस प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाएंगे। विवरण का उल्लेख अनुलग्नक III में संलग्न प्रारूप में किया जाएगा, साथ ही सभी सहायक दस्तावेजों को ठीक से संलग्न किया जाएगा।

	(iii) 31 मार्च, 2025 (01 अप्रैल, 2022 के बाद) को समाप्त पिछले 3 वर्षों में व्यक्तिगत रूप से ₹21.20 लाख (इक्कीस लाख बीस हजार केवल) से कम नहीं, यानी कुल अनुबंध मूल्य का 40% की लागत वाली तीन समान सेवाएं करनी चाहिए।	
3.	पिछले 3 वर्षों (2021-2024) में ₹53,00,000/- (केवल तिरपन लाख रुपये) का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर लेखा परीक्षित/सीए प्रमाणित खातों के विवरण और आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित।	कृपया वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करें। इसके अलावा, अनुबंध IV में संलग्न प्रारूप में विवरणों का उल्लेख करें, जिसमें संबंधित प्राधिकरण/सीए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेज संलग्न हैं।
4.	निविदा फर्मों/कंपनियों को 31 मार्च, 2024 (वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24) तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी दो में लाभदायक होना चाहिए।	इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें। अनुलग्नक V में संलग्न प्रारूप में विवरणों का भी उल्लेख करें।
5.	निविदाकर्ताओं के पास श्रम कल्याण और अन्य उद्देश्यों जैसे ईएसआई, ईपीएफ, पैन, जीएसटी, सेवा कर, लाइसेंसिंग खाद्य प्रतिष्ठानों आदि के लिए गठित वैधानिक प्राधिकरणों के पास लागू और वैध पंजीकरण होना चाहिए, जो दस्तावेजी साक्ष्य और पंजीकरण के प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित हो।	कृपया स्कैन की गई प्रतियां संलग्न करें और अनुलग्नक II देखें।
6.	बोलीदाताओं को न तो किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में डाला जाना चाहिए और न ही भारत में कहीं भी फर्म या उसके मालिक/भागीदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए या लंबित है।	इस आशय का विधिवत पूरा प्रमाण पत्र अनुलग्नक-I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।
7.	निविदा देने वाली फर्मों/कंपनियों का किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बैंक खाता होना चाहिए।	प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।
8.	निविदा फर्मों/कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2021-24 के लिए आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/आकलन आदेश और लेखा परीक्षित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी चाहिए।	प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

9.	सोल्वेंसी प्रमाणपत्र / बैंक रिपोर्ट	निविदा के मूल्य अर्थात ₹53.00 लाख (अनुलग्नक-XII के अनुसार प्रारूप) के बराबर मूल्य का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र / बैंक रिपोर्ट संलग्न करें,
----	-------------------------------------	---

- 1) निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं द्वारा अपलोड की गई निविदाएं जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और उपरोक्त सभी निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में से किसी एक के बिना हैं और निविदा में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों को भी बैंक द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 2) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन ई-निविदा जमा करने से पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ई-निविदा के साथ सभी प्रासंगिक विवरण / जानकारी भी प्रस्तुत करनी चाहिए और एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना चाहिए।
- 3) बोलियों के संबंध में बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 4) निविदाकर्ताओं को अनुबंध में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों (वर्तमान और पिछले) की सूची अपलोड करनी चाहिए। वित्त वर्ष 2019-20 से अधिक पुराने निविदाकर्ता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहकों से ग्राहकों की सूची, वर्तमान और पिछले असाइनमेंट प्रमाण पत्र, हाउसकीपिंग सेवाओं (खानपान सहित) में लगे संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 5) बैंक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि/संतुष्टि के लिए इनमें से किसी भी ग्राहक से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि कोई निविदाकर्ता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता को पूरा नहीं करता है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ईएमडी को निविदा प्रदान करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा काम। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- 6) बैंक अपूर्ण ई-निविदा फॉर्म या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां निविदा को खाली छोड़ दिया गया है या यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भ्रामक पाई जाती है।
- 7) यदि किसी भी संगठन में किसी भी कारण से बोलीदाता का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 8) बोली के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध पुरस्कार से पहले किसी

भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या कोई कारण निर्दिष्ट नहीं होता है। इसके अलावा, यदि दी गई सूचना गलत या भ्रामक पाई जाती है या बोलियां सशर्त होती हैं तो बोलियों को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा।

- 9) वित्तीय बोली (भाग-II) खोलने से पहले किसी भी समय, यदि निविदाकर्ताओं/बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज या जानकारी गलत पाई जाती है/पाई जाती है, तो बैंक द्वारा उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

अन्य शर्तें;

1. बोलीदाता को पहले से सेवा प्राप्त ग्राहकों की सूची अनुलग्नक – III में प्रस्तुत करनी चाहिए। बोलीदाता ग्राहकों के संदर्भ भी दे सकता है जहां उनकी वर्तमान जिम्मेदारी में अनुबंध- VI में हाउसकीपिंग, रखरखाव और खानपान शामिल है। साथ ही, बोलीदाता के प्रदर्शन की गुणवत्ता और उस कार्य में लगे बोलीदाता की कंपनी/फर्म/संस्था में श्रमिकों की कुल संख्या के संबंध में कम से कम दो ग्राहकों से प्रमाण पत्र भी अनुबंध IX में प्रदान किए जाने चाहिए।
2. बोलीदाता अधिमानतः मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) से प्रमाण पत्र होना चाहिए। बोलीदाता को सभी संगत उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए।
3. बोलीदाता को दस्तावेजों के साथ यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस/पुलिस सत्यापन और वैधानिक अनुपालन के लिए उनकी मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाएं मजबूत हैं।
4. बोलीदाता बैंक से पूर्व सहमति के बिना प्रस्तावित अनुबंध (यानी, इस निविदा) के लिए किसी भी कार्यकर्ता को नियोजित नहीं करेगा।
5. विक्रेता द्वारा नियोजित सभी श्रमिक सदस्यों के पास उचित पुलिस सत्यापन और चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेता इस संबंध में बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
6. बोलीदाता (ओं) के पास अपने कार्यबल (उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) का पुलिस सत्यापन करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और उनके आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा।
7. यदि किसी संगठन में किसी भी कारण से बोलीदाता का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में किसी भी भागीदारी के बिना बोलीदाता (ओं) का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म के मामले में बोलीदाता अथवा भागीदारों/प्रोपराइटरों के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/विनियामक प्राधिकरणों में कोई मामला नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक वचन निविदा दस्तावेज के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. बोलीदाता (ओं) पर पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानूनों के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया होगा या कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में एक वचन पत्र निविदा दस्तावेज के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
10. बोलीदाता को पिछले 10 वर्षों में किसी भी आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर रिज़र्व बैंक सहित किसी

भी संगठन द्वारा निलंबित/असूचीबद्ध/काली सूची में नहीं डाला गया होगा। इस संबंध में एक वचन पत्र निविदा दस्तावेज के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11. बोलीदाता को वैध कारणों के बिना पिछले 10 वर्षों में अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/परित्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है और अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी अनुबंध को रद्द / परित्यक्त करने वाले बोलीदाता के साथ आगे बढ़ने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बोलीदाता अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगा और उसकी स्थिति प्रस्तुत करेगा।
12. एकल स्वामित्व फर्म के मामले में, मालिक को अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद मालिक को किसी अन्य इकाई / मालिक के साथ साझेदारी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, फर्म को बैंक की सहमति के बिना कंपनी बनाने की अनुमति नहीं है।
13. बोलीदाता उपरोक्त सभी पात्रता मानदंडों के साथ-साथ इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
14. कंपनी/फर्म/एजेंसी/संस्था का विवरण

- 1) कंपनी/फर्म/एजेंसी इकाई का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कंपनी के मामले में, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो, और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों के विवरण, और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, नाम (ओं) और पते (तों) आदि के साथ उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। स्वामित्व के मामले में, प्रतिनिधि की स्पष्ट रूप से पहचान करने वाले असाइनमेंट का विधिवत निष्पादित विलेख, जो मालिक की मृत्यु के मामले में संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, को भी प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, विशुद्ध रूप से स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में ऐसी स्थिति में, यह बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा कि वह पहचान किए गए प्रतिनिधि/समनुदेशिनी के साथ संविदा को शेष अवधि के लिए अथवा नया करार निष्पादित होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखे।
- 2) कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित तकनीकी मानदंडों में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। किसी अन्य केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।
- 3) बैंकों के नाम और पते के बारे में पूर्ण विवरण जैसे नाम, वर्तमान संपर्क डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन नंबर, आदि के बारे में संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो) प्रस्तुत की जानी चाहिए (सेक्शन-XI)।

15. अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:

ई-निविदा जमा करते समय पीडीएफ प्रारूप में 'एमएसटीसीईकॉमर्स' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 एमबी से अधिक

नहीं होना चाहिए)। डेटा सबमिशन प्रारूपों के लिए अनुलग्नक I-XIII देखें।

- i. निविदा के विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म, समझौते के लेख, कार्य का दायरा और नियम और शर्तें संलग्न करें।
 - ii. निगमन दस्तावेज।
 - iii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी **2021-24** के लेखा परीक्षित आयकर रिटर्न/पावती/मूल्यांकन आदेश।
 - iv. पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी **2021-24** के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण।
 - v. कार्य अनुभव (न्यूनतम पांच वर्ष) से संबंधित सभी दस्तावेज, कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाण पत्र और पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी **2022-25** के अन्य विवरणों द्वारा समर्थित।
 - vi. कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस/पुलिस सत्यापन के लिए मजबूत मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य।
 - vii. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाण पत्र, ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाण पत्र और अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस की प्रति।
 - viii. पैन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति जहां भी लागू हो।
 - ix. वार्षिक कारोबार का प्रमाण, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।
 - x. एमएसएमई प्रमाणपत्र (उद्यम) की प्रति यदि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत है।
 - xi. फर्म की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण पत्र। (जैसा लागू हो) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण। (जैसा लागू हो)
 - xii. एफएसएसएआई के साथ पंजीकरण।
 - xiii. सभी आईएसओ प्रमाणपत्रों की प्रतियां।
 - xiv. वर्तमान और पिछले ग्राहकों का विवरण।
 - xv. कोई अन्य दस्तावेज या जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है (कोई मुकदमेबाजी, अदालत का मामला, जुर्माना, निलंबन, आदि)
 - xvi. उपरोक्त जानकारी/दस्तावेजों को सभी बोलीदाताओं द्वारा संलग्न प्रोफार्मा में भाग-I (तकनीकी बोली) के साथ संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि बैंक निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी पात्रता को सत्यापित कर सके। ई-निविदा का भाग-I प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को ई-निविदा के भाग-I के खुलने के बाद यथासमय जांच की जाएगी। इन दस्तावेजों की जांच के दौरान, बैंक बोलीदाताओं को अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति या सत्यापन के उद्देश्य से बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज, यदि हां, प्रस्तुत करने की सलाह दे सकता है।
16. निविदा के भाग I के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद, केवल पात्रता मानदंड (तकनीकी) को पूरा करने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत भाग II (वित्तीय बोली) को बैंक द्वारा ऐसी तारीख और समय पर खोलने के लिए विचार किया जाएगा जिसे ईमेल द्वारा योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा। अर्हता प्राप्त न करने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत भाग-II (वित्तीय बोली) को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उनके द्वारा प्रेषित ईएमडी कार्य सौंपे जाने की तारीख से **15** कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

17. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा, और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी के भी प्रमाण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतीकरण/घोषणाएं/दावे केवल उनके लेटरहेड पर होने चाहिए।
18. ईएमडी के बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या कार्य सौंपने पर संविदा निष्पादित करने में विफल रहता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। ईएमडी में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। असफल बोलीदाताओं को कार्य सौंपे जाने की तारीख से **15** कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रदान करने की तारीख से **07** दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, वैध बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की तारीख से एक **(1)** महीने की अवधि के भीतर ईएमडी वापस कर दिया जाएगा।

वित्तीय बोली (भाग II)

1. ऑनलाइन निविदा के भाग-II में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार केवल सेवा प्रदाता की उद्धृत दरें ही शामिल होनी चाहिए।
2. निविदा दरों में इस निविदा दस्तावेज के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित उपर्युक्त परिसर के एंड-टू-एंड प्रबंधन और हाउसकीपिंग के लिए सभी शुल्क शामिल होने चाहिए और इसमें सभी घटक, अर्थात् कच्चे माल, परिवहन, तैयारी शुल्क, कर्मचारी का वेतन, श्रम शुल्क, सेवाएं जैसे सफाई, रखरखाव, आदि और अन्य सभी लागू शुल्क शामिल होने चाहिए, लेवी, शुल्क और कर (जीएसटी के अलावा)। जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा लागू दरों के अनुसार किया जाएगा। निविदा दरों में सभी लागू कर (जीएसटी को छोड़कर), उपकर और कोई अन्य शुल्क या लेवी शामिल होंगे और वैधानिक देनदारियां जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई और ईपीएफ योगदान, बोनस, आदि शामिल होंगे, जो पूरी अनुबंध अवधि के दौरान तैनात कर्मचारियों को देय होंगे, और बैंक तैनात जनशक्ति को किसी भी अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नहीं करेगा/किसी भी कारण से भुगतान नहीं करेगा। इस संबंध में सभी उपयुक्त सरकारी कानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है। दरों में कार्य स्थल पर आवश्यक सभी श्रम, वर्दी, उपकरण, मशीनरी, उपकरण, पहचान पत्र, सुरक्षात्मक गियर आदि की लागत भी शामिल होगी। बोलीदाता भाग II के खंड II में उल्लिखित गणना पत्रक का उल्लेख कर सकते हैं। बोली ऊपर उल्लिखित दरों को उद्धृत करने में विफल रहने के लिए अयोग्य घोषित की जा सकती है। कोई भी बोली जिसमें छुट्टी वेतन, बोनस, पीएफ, ईएसआईसी सहित न्यूनतम मजदूरी (केंद्र सरकार) से नीचे की दरें उद्धृत की गई हैं, यदि लागू हो तो सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। सभी वैधानिक कटौतियों के अनुसार भुगतान, जैसा लागू हो, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से किया जाएगा।
3. वित्तीय बोली में दरें/उद्धरण निश्चित और अंतिम होंगे और अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी बहाने से नहीं बढ़ाए जाएंगे और अनुबंध मूल्य का संशोधन बैंक के विवेक पर होगा। वास्तविक वृद्धि, यदि कोई हो, का निर्णय बैंक द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संशोधन जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद संविदाकार के परामर्श से लिया जाएगा।
4. बोलीदाता सभी सांविधिक देयताओं जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, कर्मचारी मुआवजा, ईपीएफ अंशदान आदि का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में केन्द्र सरकार के सभी कानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत ईएसआई, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा की अनुपस्थिति में, ठेकेदार

को बीमा कवरेज के अंतर्गत देयता लेनी चाहिए जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर बीमा। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। इन भुगतानों को करने के लिए लिखित रिकॉर्ड और दस्तावेजी प्रमाण बैंक को मासिक अंतराल पर, बिलों को प्रस्तुत करते समय इसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; संविदाकार के जोखिम और लागत पर संविदा समाप्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से कटौती की जाएगी। ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के सभी वैधानिक प्रावधानों और अन्य सभी लागू कानूनों का पालन करेगा। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार संविदाकार निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख निविदा दस्तावेज में कार्य क्षेत्र के तहत खंड VII में किया गया है।

5. वित्तीय बोली में केवल भारतीय रुपये में भरे गए मूल्य को आंकड़ों और शब्दों में शामिल किया जाना चाहिए, और उसमें कोई भी शर्त इसे अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बनाएगी।
6. वित्तीय बोली सभी पहलुओं में पूर्ण होगी और बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जाएगी।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक स्वयं को निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है, और किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखता है, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। भारतीय रिज़र्व बैंक दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं के बीच आदेश को विभाजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, और ठेकेदार विभिन्न मदों के लिए आंशिक आदेशों को भी पूरा करेगा। किसी भी परिस्थिति में इस खाते पर दरों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निविदा खोलना

1. निविदा की वैधता : कीमतों के साथ निविदा तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए प्रारंभ में वैध रहेगी, जिसे बैंक और जमाकर्ता के बीच लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या निविदाकर्ता उद्धृत दरों में परिवर्तन नहीं करेगा। यदि निविदाकर्ता वैधता अवधि के दौरान बोली वापस ले लेता है, तो निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
2. निविदा दस्तावेज जो निविदा फॉर्म में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3. तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों बोलियों में बोलीदाता द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

4. केवल उन निविदाकारों की भाग- II (वित्तीय बोली) जो तकनीकी बोली (भाग-I) में अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसी किसी भी तारीख को खोली जाएगी, जिसके लिए योग्य निविदाकारों को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
6. बैंक निविदा दस्तावेज में संशोधन/संशोधन करने या निविदा प्रक्रिया के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता पूर्वोक्त करने के बैंक के अधिकार को चुनौती नहीं देगा। बैंक किसी भी कारण से और किसी भी समय परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। निविदा दस्तावेज का कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा। निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करते समय किसी भी अनुशेष/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो बैंक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाएगा।

टिप्पणी : सभी निविदाकर्ता कृपया नोट करें कि इस निविदा में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण, यदि भविष्य में जारी किए जाते हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे और समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

खंड - III

निविदा का प्रपत्र

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
पणजी- 403001

प्रिय महोदय,

मैं/हम एतद्वारा प्रस्तुत करते हैं कि हमने निविदा में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, कार्य क्षेत्र और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की है, और निर्दिष्ट कार्यों की साइट का दौरा किया है और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। मैं/हम, एतद्वारा, ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, निविदा दस्तावेज के भाग II के खंड I में उल्लिखित दरों पर, ज्ञापन और समझौते के लेखों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और नियम और शर्तें, इसके पहले संदर्भित, विनिर्देशों, और ऐसी सामग्रियों के साथ जो प्रदान की जाती हैं, द्वारा और अन्य सभी पहलुओं में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

(क)	कार्यों का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाएं और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में 365*24*7 आधार पर सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए।
(ख)	कार्यों की अनुमानित लागत	₹53,00,000/- (तिरपन लाख रुपये मात्र) प्रति वर्ष जीएसटी के बिना
(ग)	बयाना धन जमा (EMD)	₹1,06,000/- (रुपये एक लाख छह हजार मात्र)
(घ)	उद्धृत दरों की वैधता	06 महीने। समझौते को पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के साथ, बैंक के विवेक पर अधिकतम दो वर्षों (एक समय में एक वर्ष) की अधिकतम अवधि के लिए आगे नवीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।
(ई)	प्रदर्शन बैंक गारंटी	किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में बैंक के पास निविदा मूल्य का 10% (निकटतम दस हजार रुपये तक पूर्णांकित किया गया), जिसे बैंक द्वारा यथा निर्धारित बैंक को हुई हानि या क्षति के आधार पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है। उक्त बैंक गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

2. मैं/हम कार्य के दायरे/प्रकृति और निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करने का वचन देते हैं। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप है।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मेरी/हमारी निविदा तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की यह अवधि उस अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो बैंक और मेरे/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि वैधता अवधि के दौरान बोली वापस लेने के परिणामस्वरूप ईएमडी जब्त हो जाएगा।
4. मैंने/हमने बैंक में ईएमडी के रूप में ₹1,06,000/- (रुपये एक लाख छह हजार मात्र) की राशि जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं है। यदि मैं/हम कार्य सौंपने की तारीख से 07 दिनों के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता हूं, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा सहमत होते हैं कि यह राशि बैंक को जब्त कर ली जाएगी। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि ईएमडी को जब्त करने वाली किसी भी घटना के घटित होने की स्थिति में, मैं/हम दो साल की अवधि के लिए बैंक में किसी भी भविष्य की निविदा में भाग लेने या कोई काम करने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी हूं/हैं।
5. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं, और इसके डिफॉल्ट रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा दस्तावेज में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
6. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे खिलाफ पुलिस/अदालत/नियामक प्राधिकरणों में कोई मामला नहीं है। साथ ही, मुझे/हमें भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा किसी भी कारण से न तो निलंबित/सूचीबद्ध/अयोग्य घोषित किया गया है, न ही ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है या विचाराधीन है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि न तो हमारी फर्म और न ही कोई भागीदार/निदेशक किसी घोटाले या अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल हैं या लंबित निर्णय में शामिल हैं।
7. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। मुझे इस दस्तावेज में दी गई किसी भी या सभी जानकारी को बैंक द्वारा सत्यापित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि आवश्यक हो। इसके अलावा, मुझे/हमें बैंक द्वारा साइट विज़िट आयोजित करने, प्रतिष्ठानों/हमारे द्वारा अनुरक्षित इसी तरह की सेवाओं के निरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं है।
8. मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम और अन्य सांविधिक प्रावधानों जैसे भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, प्रभारों से राहत, वर्दी और भत्ते तथा समय-समय पर लागू किसी अन्य प्रभारों के प्रावधानों का पालन करूंगा. हम समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं/हम बैंक की संतुष्टि के लिए मासिक आधार पर तैनात कर्मियों का बैंक खाता विवरण और उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे।
9. मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी बोली और किसी भी या सभी निविदा को बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

10. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग-I (तकनीकी बोली) में सभी निबंधन व शर्तें तथा तकनीकी ब्यौरे शामिल हैं, लेकिन वाणिज्यिक मूल्य कहीं भी किसी भी रूप में इंगित नहीं किया गया है और भाग-II (वित्तीय बोली) में केवल मूल्य बोली शामिल है।

11. हमारे बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा और उसका पूरा पता	संपर्क व्यक्ति का नाम	टेलीफोन और फैक्स नं.
1.				
2.				

12. हम इसके साथ अपने ग्राहकों की सूची पूरी जानकारी के साथ संलग्न कर रहे हैं।

क्रमांक	ग्राहक का नाम	स्थान	प्रमुख व्यवहार करने वाले व्यक्ति (नाम, रैंक/पद, संपर्क विवरण)	काम की प्रकृति	सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर्मियों की संख्या
1.					
2.					

13. अन्य जानकारी:

1.	कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल	
2.	पंजीकरण सं. कंपनी/फर्म/एजेंसी की	
3.	फर्म/एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल	
4.	कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या निविदाकर्ता एकमात्र मालिक/साझेदारी फर्म/कंपनी है। नाम और पता और टेलीफोन नंबर निदेशकों/भागीदारों की संख्या विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।	
5.	कंपनी/फर्म/एजेंसी का पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति संलग्न)	
6.	संभविष्य निधि खाता सं.	
7.	ईएसआई नंबर	
8.	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के तहत लाइसेंस संख्या	
9.	जी.एस.टी. संख्या (GSTIN)	

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

10.	एनईएफटी विवरण (ईएमडी की वापसी के लिए) बैंक खाता संख्या: बैंक खाता का नाम: बैंक का नाम: ब्रांच का IFSC:	
11.	कोई अन्य जानकारी	
12.	बोलीदाता द्वारा घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले यहां निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं/स्वयं उनका पालन करने का वचन देते हैं। मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।	

इस पर दिनांकित _____ का दिन _____ 2025.

के लिए और की ओर से _____

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____ स्थान _____

दिनांक _____

(पावर ऑफ अटॉर्नी/उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के अन्य ऐसे दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों

(1) हस्ताक्षर _____

नाम, पता और तारीख _____

(2) हस्ताक्षर _____

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

नाम, पता और तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

खंड - IV

समझौते के लेख

पणजी में निष्पादित करार के अनुच्छेद और _____ दिन _____, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका एक भाग पणजी में अपना कार्यालय है (इसके बाद "बैंक" कहा गया है) और दूसरी ओर _____ या कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि (इसके बाद "विक्रेता" कहा जाएगा) के बीच किया गया। यह समझौता 01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है।

जबकि बैंक का इरादा बैंक के मुख्य कार्यालय और बैंक के क्वार्टरों और पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने और गोवा में बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स में 365*24*7 आधार पर सुविधाएं प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विक्रेता को नियुक्त करने का इरादा है और किए जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए विनिर्देश दिए हैं [जैसा कि निविदा दस्तावेजों में बताया गया है (भाग-I) भाग II, संलग्नक और उसके संशोधन)]।

और जबकि उक्त विनिर्देशों और कार्य के दायरे [जैसा कि निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसके संशोधन) में विस्तृत है] पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षरित किया गया है।

और जबकि बैंक ने पात्र बोलीदाताओं से बैंक के मुख्य कार्यालय और बैंक के क्वार्टरों और पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और गोवा में बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए 365*24*7 आधार पर निविदाएं आमंत्रित की थीं, जैसा कि निविदा से जुड़े कार्य क्षेत्र और अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि विक्रेता और अन्य ने निविदाएं प्रस्तुत कीं और बैंक ने बैंक के मुख्य कार्यालय में और बैंक के क्वार्टरों और पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और गोवा में बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा प्रदान करने के लिए अनुबंध प्रदान किया है, जैसा कि निविदा दस्तावेज से जुड़े कार्य के दायरे में कहा गया है, विक्रेता को।

और जबकि विक्रेता यहां निर्धारित शर्तों और निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसके संशोधन) में निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा संशोधित और अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) नियमों और शर्तों में वर्णित कार्यों और निविदा में दिए गए विस्तृत कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसके संशोधन) संबंधित दरों पर निर्धारित की गई हैं, जो कि उस राशि की राशि है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय होगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अ) अब यह इस प्रकार सहमत है:

- i. बैंक के मुख्य कार्यालय और बैंक के क्वार्टर और पट्टे पर फ्लैट्स में हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने और गोवा में बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स में 365*24*7 आधार पर सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए यह समझौता 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अनुबंध को अधिकतम दो वर्षों (एक बार में एक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

वर्ष) के लिए आगे नवीकरण के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते बैंक ठेकेदार की सेवाओं को संतोषजनक और बैंक के विवेकाधिकार पर पाता है। निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को इस समझौते के हिस्से और पार्सल के रूप में माना जाएगा।

- ii. इस समझौते के तहत निर्धारित तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त प्रतिफल राशि के संबंध में, विक्रेता शर्तों के अधीन और कार्य के दायरे में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।
- iii. बैंक विक्रेता को संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय होगी। किसी भी कारण से अनुबंध मूल्य में वृद्धि/कमी, बैंक के विवेक पर निर्भर करती है और भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संशोधन पर निर्भर करती है।
- iv. बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी चोट / उसके कार्यकर्ता की मृत्यु के मामले में विक्रेता / उसके श्रमिकों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- v. बैंक इस अनुबंध के पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय काम की किसी भी वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को जोड़कर विनिर्देशों और कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- vi. यहां उल्लिखित विनिर्देश, समझौते और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।
- vii. विक्रेता बैंक के मुख्य कार्यालय में, बैंक के क्वार्टरों में, सेंट इन्ज़, पणजी में विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स और बैंक के पट्टे पर फ्लैट्स में कमरों, डाइनिंग हॉल, किचन, शौचालय और सामान्य क्षेत्रों आदि की सफाई और रखरखाव सहित उच्च गुणवत्ता वाली हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करेगा। प्रदान की जाने वाली हाउसकीपिंग सेवाएं उच्च स्तर की होंगी और बैंक की संतुष्टि तक होंगी।
- viii. विक्रेता स्वागत व्यवस्था, खानपान, रखरखाव और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से करेगा और बैंक की संपत्ति आदि को किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
- ix. सेवाओं के लिए बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं और अंतिम राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करने के बाद भुगतान किया जाएगा। बिल लेखांकन और भुगतान शर्तों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होगा। समय-समय पर लागू करें में कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा। कोई भी कर, यदि कोई केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। विवादित विधेयकों के मामले में, आपसी बातचीत/मध्यस्थता के बाद समायोजन किया जाएगा।
- x. मासिक बिल में निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए:
 1. विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित कर चालान।
 2. ईपीएफ चालान और उस पर भुगतान प्रमाण।
 3. ईएसआईसी चालान, वापसी और उस पर भुगतान प्रमाण।
 4. मजदूरी/वेतन के प्रमाण के रूप में बैंक विवरण का भुगतान सख्ती से बैंक खाते के माध्यम से किया जाना है।
 5. कर्मचारियों के खाते में राशि जमा होने का प्रमाण (संलग्न किए जाने वाले सभी कर्मचारियों का बैंक विवरण)
 6. विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित उपस्थिति रिकॉर्ड।
 7. जब भी ठेकेदार अपने कर्मचारियों को बोनस वितरित करेगा और सभी प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बिल प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा बोनस के भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- xi. विक्रेता खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों और जलपान की तैयारी और बिक्री से संबंधित सभी लागू नगरपालिका और अन्य नियमों का पालन करेगा और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस सहित आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के विक्रेता द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

- xii. बैंक इस अनुबंध के पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध की मुद्रा के दौरान किसी भी समय काम की किसी भी वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को जोड़कर विनिर्देशों और कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xiii. समझौते में शुद्ध दरें या कीमतें तैनात अतिरिक्त कार्य/अतिरिक्त जनशक्ति के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां ऐसा अतिरिक्त काम/अतिरिक्त जनशक्ति समान प्रकृति का है और उसी परिस्थितियों में निष्पादित किया जाता है जैसे कि उसमें काम की कीमत। अतिरिक्त कार्य की दरें या कीमतें बैंक और विक्रेता द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाएंगी।
- xiv. संविदा के उचित निष्पादन के लिए, विक्रेता को करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक (1) माह की अवधि के भीतर बैंक में यथा निर्दिष्ट लागू राशि किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में 10% की प्रतिभूति जमा राशि जमा करनी होगी जिसे मामले में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है/उसका उपयोग किया जा सकता है किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन या दंड राशि के प्रति समायोजन या जोखिम और लागत राशि के लिए या बैंक को हुई हानि या क्षति पर, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। विक्रेता अपेक्षित बैंक गारंटी को बनाए रखेगा और भाग/पूर्ण बैंक गारंटी के अहसाह की स्थिति में उसकी पुनःपूर्ति/पुनःपूर्ति करेगा; ऐसा करने में विफल रहने को उल्लंघन माना जाएगा और विक्रेता इस समझौते के तहत उल्लंघन के परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
- xv. विक्रेता द्वारा नियोजित कर्मकार/स्टाफ को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा की अनुपस्थिति में, विक्रेता को बीमा कवरेज के अंतर्गत देयता लेनी चाहिए जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर बीमा। कुल प्रीमियम विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। विक्रेता के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने हेतु एक वैध ईपीएफ खाता होगा। इन भुगतानों को करने के लिए लिखित रिकॉर्ड और दस्तावेजी प्रमाण मासिक अंतराल पर बैंक को इसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; संविदाकार के जोखिम और लागत पर संविदा समाप्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से कटौती की जाएगी। विक्रेता अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के सभी वैधानिक प्रावधानों और अन्य सभी लागू कानूनों का पालन करेगा। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, विक्रेता 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।
- xvi. बैंक यहां उल्लिखित पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के साथ आगे की अवधि के लिए अनुबंध का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि विक्रेता करार के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है या किसी सामान्य अनुदेशों और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक द्वारा बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- xvii. अनुबंध और उसके संशोधनों सहित निविदा में उल्लिखित उक्त शर्तों को इस समझौते के हिस्से के रूप में पढ़ा और

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

समझा जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगे।

आ) विक्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

विक्रेता बैंक के मुख्य कार्यालय और बैंक के क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा, 02 एसआरए, 01 ओआईसी बंगला, 01 बैंक फ्लैट में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करेगा। विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

मुख्य कार्यालय	7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा, पणजी
सेंट इनेज़ क्वार्टर	04 विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, 04 ट्रांजिट हॉलिडे होम,
पट्टे पर फ्लैट्स	पणजी शहर में और उसके आसपास

कार्य के संक्षिप्त दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. हाउस कीपिंग सेवाएं: उपर्युक्त सुविधाओं में कमरे, डाइनिंग हॉल, रसोईघर, शौचालय और सामान्य क्षेत्रों आदि की सफाई और रखरखाव सहित उच्च गुणवत्ता वाली हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करना। प्रदान की जाने वाली हाउसकीपिंग सेवाएं उच्च स्तर की होंगी और बैंक की संतुष्टि तक होंगी।
2. अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं: विक्रेता निविदा दस्तावेज में कार्य क्षेत्र के अनुसार मेहमानों को सुविधाएं प्रदान करेगा।
3. भोजन तैयार करना और रसोई और भोजन क्षेत्र का प्रबंधन: उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य और पेय सेवाएं प्रदान करना जिसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन, नाश्ता और रात का खाना शामिल है, मेहमानों को समय पर, निविदा दस्तावेज में कार्य के दायरे के अनुसार और जब भी आवश्यक हो, कक्ष सेवाएं प्रदान करना। विक्रेता रसोई और भोजन क्षेत्र के एंड-टू-एंड संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।
4. फ्रंट ऑफिस का प्रबंधन: कमरों का आवंटन प्राप्त करना और प्रबंधित करना (बैंक के निर्देशों के अनुसार) और वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे रिसेप्शन/फ्रंट ऑफिस का प्रबंधन करना।
5. विक्रेता अतिथियों की निर्बाध सेवा के लिए इस निविदा दस्तावेज के भाग-I की धारा VII में उल्लिखित आवश्यकता के अनुसार अनुबंध कर्मचारी/कामगार (रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, हाउसकीपर/रखरखाव परिचर, रसोइया, रसोई सहायक/वेटर, माली आदि) की आवश्यक/उचित संख्या प्रदान करेगा।
6. विक्रेता तुरंत बैंक के निर्देशों का पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक द्वारा किए गए कार्यों पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो तुरंत लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और, यदि बैंक द्वारा अगले दिन लिखित रूप में असहमति नहीं दी जाती है, ऐसे अनुदेश संविदा के दायरे में बैंक के अनुदेश माने जाएंगे।
7. विक्रेता अनुमोदित सूची (निविदा दस्तावेज के खंड VII में दी गई) के अनुसार प्रीमियम गुणवत्ता वाली सामग्रियों/ब्रांडों का उपयोग करने के लिए सहमत है। बैंक विक्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री/सेवा की गुणवत्ता/मानक को सत्यापित करने के लिए विक्रेता द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की आवधिक आधार पर औचक गुणवत्ता लेखा परीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी विसंगति के मामले में, विक्रेता

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्राजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

प्रत्येक उदाहरण के लिए 1000/- रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा और राशि बैंक के पास जमा प्रदर्शन बैंक गारंटी सहित ठेकेदार को देय देय राशि से वसूल की जाएगी। यदि खाद्य वस्तुओं/खानपान सेवाओं/हाउसकीपिंग सेवाओं की गुणवत्ता तीन से अधिक बार घटिया/खराब पाई जाती है, तो बैंक को विक्रेता के जोखिम और लागत पर अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा।

8. विक्रेता हर महीने बैंक के परिसर में तैनात सभी कर्मियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
9. विक्रेता अपने श्रमिकों और सामग्रियों की सुरक्षा और संरक्षण और पूरे किए गए कार्य के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा।
10. विक्रेता अपनी लागत पर इस संविदा के अंतर्गत कवर की गई सेवाओं के मामले में लागू लागू राज्य या केन्द्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित लाइसेंस, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा।
11. विक्रेता इस करार के प्रयोजनार्थ नियोजित कामगारों/व्यक्तियों को मजदूरी/वेतन का समय पर भुगतान केवल बैंक खाते में सीधे जमा करके सुनिश्चित करेगा और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है, बैंक को हर महीने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को प्रत्येक माह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विभिन्न श्रम कानूनों और संपर्क श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सभी दायित्वों का अनुपालन किया जा रहा है। बैंक को किसी अन्य दस्तावेज की मांग करने का अधिकार होगा जो ठेकेदार द्वारा श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं।
12. विक्रेता बैंक के परिसर की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/मानदंडों का पालन करेगा।
13. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अंतर्गत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से नियोजित सभी व्यक्तियों का बीमा आईआरडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। विक्रेता किसी भी व्यक्ति या जानवर को किसी भी चोट या क्षति या समझौते को निष्पादित करने के लिए बैंक में तैनाती के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य चीजों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
14. विक्रेता द्वारा इस करार के प्रयोजनार्थ तैनात सभी व्यक्तियों को बैंक द्वारा अनुमोदित पहचान पत्र और यूनिफार्म प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पहचान पत्रों को प्रशासनिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बैंक के परिसर में प्रवेश करने से रोका जा सके। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी और एजेंट बैंक के परिसर में काम करते समय हर समय पहचान पत्र धारण करें।
15. विक्रेता अनुबंध के तहत कर्तव्यों का पालन करते समय विक्रेता द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण बैंक पर लगाए गए किसी भी दंड के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। विक्रेता निम्नलिखित के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा:
 - i. कार्य के निष्पादन के दौरान/के कारण तीसरे पक्ष के नुकसान / जीवन या संपत्ति को नुकसान से उत्पन्न होने वाला कोई दावा।
 - ii. कार्य निष्पादन के दौरान विक्रेता द्वारा लगाए गए कामगारों को हानि/क्षति से उत्पन्न होने वाला कोई दावा।
 - iii. लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई विनियमों आदि का अनुपालन न करने के कारण कोई भी दावा।

इ. लेखांकन और भुगतान शर्तें

विक्रेता हर महीने पूरा होने पर बिल जारी करेगा और भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 45 दिनों के भीतर (लागू करों को काटने के बाद) सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण और सही बिल जमा करने की तारीख से किया जाएगा। कर्मचारियों को भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण/बैंक विवरण/सभी कर्मचारियों के वेतन के

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

संवितरण का प्रमाण और सांविधिक प्राधिकरणों जैसे ईएसआई, पीएफ, आदि को बिल/चालान के साथ प्रस्तुत किया जाना है। विक्रेता अपने पास मजदूरी रजिस्टर रखेगा और कर्मचारियों को किए गए मजदूरी/भुगतान के ब्यौरे दर्शाते हुए बैंक को प्रस्तुत करेगा। बिल जमा करने से पहले, विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता द्वारा नियोजित व्यक्तियों का भुगतान बिल अवधि के लिए किया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विक्रेता इस संविदा की शर्तों में निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त किसी प्रभार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। सभी लागू वैधानिक कर्तव्यों में कटौती के बाद बिलों का निपटारा किया जाएगा। टीडीएस प्रमाणपत्र बैंक द्वारा बिलों से किए गए टीडीएस कटौती के समर्थन में जारी किया जाएगा।

ई. दंड खंड

- i. विक्रेता को संबंधित टीएचएच/वीओएफ फ्लैटों आदि के लिए फ्रंट ऑफिस में एक फीडबैक/शिकायत रजिस्टर बनाए रखना होगा, जो सभी अधिकारियों/उपयोगकर्ताओं को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। शिकायत/फीडबैक रजिस्टर पर निरंतर आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रजिस्टर में शिकायतें विक्रेता के अधिकार क्षेत्र में आने पर तुरंत हल की जाती हैं, यदि यह पाया जाता है कि शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टि के बावजूद शिकायतों को 3 कार्य दिवसों के भीतर सुधार/हल नहीं किया गया है, बैंक ऐसी प्रत्येक अनसुलझी शिकायत के लिए रु. 1,000/- (रु. एक हजार केवल) तक का जुर्माना लगा सकता है, उसे विक्रेता को देय बिल या बैंक के पास जमा निष्पादन बैंक गारंटी से समायोजित किया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- ii. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी/कर्मचारी ड्यूटी के समय के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखें, उचित परिधान और गियर पहनकर स्वच्छता बनाए रखें और पहचान पत्रों आदि के साथ साफ-सुथरी वर्दी पहनें, ऐसा न करने पर बैंक को 1,000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा और इस संबंध में आदतन अपराधियों को विक्रेता द्वारा बैंक के परिसर में तैनाती से हटा दिया जाएगा। इस खाते पर जुर्माना या तो विक्रेता के मासिक बिल से या बैंक के पास जमा निष्पादन बैंक गारंटी से वसूल किया जाएगा।
- iii. विक्रेता अपने कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्थायी उपस्थिति रजिस्टर रखेगा जो किसी भी समय बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जांच के लिए खुला रहेगा। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि हर दिन ड्यूटी के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाएं। यदि तैनात विक्रेता का कोई कार्मिक अनुपस्थित है और विक्रेता उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में असमर्थ है, तो बैंक द्वारा 1,000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा और यह बैंक के पास जमा विक्रेता के बिलों/निष्पादन बैंक गारंटी से काट लिया जाएगा। यदि विक्रेता अपेक्षित स्टाफ का बार-बार भरण-पोषण करने में विफल रहता है तो बैंक विक्रेता के जोखिम और लागत पर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, कर्मियों में बार-बार बदलाव से बचा जाना चाहिए।
- iv. विक्रेता कार्य के दायरे में निर्धारित मानक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। सेवा में पाई गई कमियों और गुणवत्ता एवं मात्रा के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने पर बैंक द्वारा ठेकेदार पर ऊपर उल्लिखित दंड लगाया जाएगा। लगाए गए जुर्माने की राशि पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगी और विक्रेता पर अंतिम और बाध्यकारी होगी, जो विक्रेता को देय राशि से या बैंक के पास जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी से वसूल की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

16. गैर-प्रकटीकरण

विक्रेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की अवसंरचना/प्रणालियों/उपस्कर आदि के बारे में ऐसी किसी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान विक्रेता के पास या उसकी जानकारी में किसी तीसरे पक्ष को आ सकता है और उसे हर समय पूर्ण विश्वास में रखेगा। विक्रेता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय के रूप में मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। विक्रेता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट नहीं करेगा। विक्रेता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में विक्रेता के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचे रहेंगे।

17 यौन उत्पीड़न

"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए विक्रेता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा:

- अ. बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत विक्रेता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और विक्रेता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- आ. विक्रेता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
- इ. विक्रेता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में निविदाकर्ता का स्टाफ शामिल है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
- ई. विक्रेता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- उ. विक्रेता अपने उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक परिसरों/क्वार्टरों/वीओएफ-टीएचएच/पट्टे पर दिए गए फ्लैटों या बैंक के किसी अन्य परिसर में तैनात हैं।
- उ) जोखिम और लागत खंड

विक्रेता की ओर से करार के किसी भी नियम और शर्तों के किसी भी विफलता या उल्लंघन की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के, ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम कराने का अधिकार होगा। अतिरिक्त लागत, हानि, यदि बैंक द्वारा कोई हो, विक्रेता से वसूल की जाएगी।

18. सुरक्षा-कवच

- 1. बैंक विक्रेता या उसके किसी भी कार्मिक को ड्यूटी के दौरान या अन्यथा होने वाली किसी भी चोट, दुर्घटना, विकलांगता या जीवन की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी चोट, दुर्घटना या जीवन की हानि के उपचार के लिए कोई मुआवजा या व्यय विक्रेता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। विक्रेता को स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक और विकलांगता कवरेज और उसके द्वारा लगे सभी कर्मियों के अधिवास उपचार के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
- 2. सफल विक्रेता अनुबंध मूल्य के लिए "सभी जोखिम नीति" लेगा और अनुबंध की अवधि के लिए कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कामगार मुआवजा नीति लेगा, यदि बैंक द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है तो उसके बाद नवीकरणीय होगा। विक्रेता कार्य निष्पादित करते समय व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। विक्रेता व्यक्तियों या चीजों को किसी भी चोट के लिए और संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो उसके द्वारा या उसके किसी कर्मचारी द्वारा या किसी भी तरह से संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो भी हो, किसी भी तरह से इस अनुबंध को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। इस खंड को अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को किसी भी नुकसान को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा, जहां तुरंत आसन्न या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को कोई नुकसान हुआ है। विक्रेता बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त के रूप में व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में और भारत में किसी भी विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी हानिरहित रखेगा। विक्रेता को बैंक का काम करते समय किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए आवश्यक बीमा कवर, कामगार मुआवजा पॉलिसी और प्रति व्यक्ति न्यूनतम ₹ 2 लाख की देयता लेनी चाहिए। विक्रेता कार्य निष्पादित करते समय व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर को जीवित रखा जाए। विक्रेता बैंक को बीमा कवर की एक प्रति (संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध) प्रदान करेगा। यदि सफल निविदाकर्ता इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और सफल निविदाकर्ता/विक्रेता के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. विक्रेता इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि पूरे अनुबंध कार्यों को हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण किया जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा संतुष्ट किया जा सके।
4. विक्रेता बैंक के विरुद्ध किसी सांविधिक गैर-अनुपालन के लिए किए गए सभी दावों के विरुद्ध या किसी सांविधिक प्राधिकारी या जनता के किसी सदस्य या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी बात के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा।
5. विक्रेता इस अनुबंध से बाहर लापरवाही या दोषपूर्ण करने के लिए उत्पन्न होने वाले और आकस्मिक किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा।
6. विक्रेता बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भाग या उसके किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग या बैंक की किसी भी संपत्ति को हुई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा और विक्रेता या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, चूक, चूक या लापरवाही से होगा।

19. विक्रेता के कर्मचारी:

विक्रेता द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और अनुभवी लोग होंगे जिनके स्वास्थ्य और चरित्र अच्छे होंगे; अपने कार्यों में अच्छा व्यवहार, आज्ञाकारी और कुशल। उन्हें हिंदी में बातचीत करनी चाहिए और अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

- i. विक्रेता को बैंक परिसर में झूठी पर लगाने से पहले इस संविदा के तहत तैनात किए जाने वाले अपने कामकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में उनके पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। पुलिस सत्यापन सालाना किया जाना है।
- ii. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को तैनात किया जाए, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं जो कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने में उनकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। विक्रेता अपने कर्मचारियों को इस तरह से तैनात करेगा कि

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

उन्हें साप्ताहिक अवकाश मिल सके। विक्रेता अनुबंध के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को तैनात करने से पहले पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र सालाना जमा किया जा सकता है। विक्रेता संचारी रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को हटा देगा और ऐसी बीमारी के उपचार/ठीक होने के बाद ही उन्हें तैनात कर सकता है। विक्रेता के कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा।

- iii. किसी भी बाल श्रम को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार मानवाधिकारों की रक्षा और पालन किया जाना चाहिए। नियुक्त किए गए व्यक्ति को एक पूर्व चरित्र और पूर्ववर्ती जांच/पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा और चिकित्सकीय रूप से मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए, विशेष रूप से रसोई के कर्मचारियों को बैंक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार समय-समय पर चिकित्सा जांच से गुजरना चाहिए।
- iv. बैंक और इस करार के प्रयोजनार्थ विक्रेता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। विक्रेता द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों या व्यक्तियों को अच्छे आचरण/अनुशासन और तैनाती के उद्देश्य से विक्रेता के कर्मचारी और विक्रेता के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन माना जाएगा और बैंक का ऐसे कामगारों/कर्मचारियों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
- v. यदि बैंक द्वारा निर्देश दिया जाता है, तो विक्रेता अपने कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए अपनी उपस्थिति निगरानी प्रणाली प्रदान करेगा। विक्रेता श्रमिकों को भुगतान का रिकॉर्ड भी रखेगा, जिसे बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- vi. विक्रेता उन व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी देयताओं के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा जो समझौते के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित हैं।
- vii. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों/व्यक्तियों को मजदूरी/वेतन का समय पर भुगतान केवल बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है, बैंक को हर महीने प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक को विक्रेता द्वारा भुगतान की गई मजदूरी/वेतन के व्यौरे को सत्यापित करने के लिए ठेकेदार से बैंक स्टेटमेंट मांगने का अधिकार होगा और उसे विक्रेता द्वारा विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन का पता लगाने के लिए अपेक्षित किसी अन्य दस्तावेज की मांग करने का भी अधिकार होगा।
- viii. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के परिसर में या इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करते समय सभी कर्मचारी बैंक या उसके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और विक्रेता और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं, इसका एकमात्र न्यायाधीश बैंक ही रहेगा। विक्रेता अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक द्वारा किसी भी शिकायत के मामले में, विक्रेता ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर में तैनात नहीं करेगा।
- ix. विक्रेता व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से सभी कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की संतुष्टि के लिए की जाती हैं।
- x. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी बैंक के पूर्व अनुमोदन से ठेकेदार के दायित्वों को पूरा करने के लिए जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, तब तक निर्धारित समय सीमा/झूटी घंटों के बाद भी बैंक की संपत्ति में प्रवेश नहीं करेगा या नहीं रहेगा। बैंक अपने परिसर के अंदर ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को कोई आश्रय/आवास प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- xi. विक्रेता बैंक की संपत्ति में तैनात किए जाने वाले अपने कर्मचारियों की सूची उनकी योग्यता, अनुभव, पता, फोटो आदि के साथ प्रस्तुत करेगा। कर्मियों में कोई भी परिवर्तन बैंक को उचित सूचना के साथ किया जाएगा। तथापि, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बैंक के साथ संविदा के अंतर्गत विक्रेता द्वारा

भारतीय रिजर्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्राजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

नियुक्त/नियोजित किसी विशेष कामगार/स्टाफ को अस्वीकार कर सकता है।

- xii. विक्रेता द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को एक समान प्रदान किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के परिसर में काम करते समय उसके सभी कर्मचारी हर समय संबंधित वर्दी में हों।
- xiii. सेवाएं प्रस्तुत करने योग्य, बड़े करीने से पहने और अच्छी तरह से सुसज्जित योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रदान की जाएंगी। प्रमाणित चरित्र और पूर्ववृत्त के तैनात कर्मी भारतीय नागरिक होने चाहिए और उन्हें पहचान पत्र प्रदर्शित करना चाहिए और हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
- xiv. विक्रेता सहमत है और वचन देता है कि इस करार के अंतर्गत दायित्वों का पालन करने के लिए उसके द्वारा नियोजित/नियुक्त सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना है कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं और उनका बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा तथा बैंक संविदा निष्पादित करने के लिए मजदूरी, वेतन अथवा किसी अन्य प्रकार के मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या श्रम कानून और/या किसी अन्य सांविधिक लाभ के अंतर्गत कोई अन्य सांविधिक लाभ प्रदान नहीं करेगा अन्य कानून और ठेकेदार अपने कर्मचारियों को प्रासंगिक कानून / नियमों / सेवा शर्तों के तहत स्वीकार्य ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
- xv. विक्रेता सभी परिचालनात्मक नियमों और विनियमों का पालन करेगा, जिसमें बैंक द्वारा बनाए गए सुरक्षा और अनुशासनात्मक नियम शामिल हैं और पूरे परिसर या उसके हिस्से पर लागू किए गए हैं, जहां विक्रेता या उसके कर्मचारी परिचालन/काम कर रहे हैं। यदि विक्रेता का कोई कर्मचारी उक्त नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है या किसी भी तरह से बैंक के लिए आपत्तिजनक हो जाता है, तो विक्रेता ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर से तुरंत हटा देगा और नियमों और विनियमों के ऐसे उल्लंघन पर किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
- xvi. विक्रेता हर महीने बैंक में तैनात सभी कर्मियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
- xvii. समझौते के प्रयोजन के लिए तैनात व्यक्ति नशे की हालत में या किसी भी नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं होंगे। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, पान/तंबाकू चबाना सख्त वर्जित है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के परिसर में तैनात कर्मचारी इस नियम का सख्ती से पालन करें।
- xviii. वेंडर अनुबंध की समाप्ति/समाप्ति पर बैंक परिसर में उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को तुरंत हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक के परिसर में किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या/उपद्रव उत्पन्न नहीं करेंगे।
- xix. विक्रेता किसी भी कर्मचारी को हटा देगा जो बैंक की राय में, कदाचार का दोषी है, या किसी भी तरह से सेवा के लिए अयोग्य या अनुपयुक्त है। विक्रेता बैंक को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या उसके नियमों के अधीन या किसी कानून या नियमों के अंतर्गत किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति करेगा जो इस करार के प्रयोजन के लिए उसके नियोजन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय प्रतिकर के नियमों के अधीन किए जा सकते हैं। विक्रेता अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक और अन्य देयताओं के साथ-साथ उनके द्वारा की गई चूक/कमीशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- xx. विक्रेता द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारों/कर्मचारियों का बैंक कर्मचारियों द्वारा उपभोग की जा रही सुविधाओं आदि पर कोई अधिकार/दावा नहीं होगा।

20. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- i. विक्रेता भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा और अनुबंध की शर्तों की सेवा के लिए जिम्मेदार होगा। विक्रेता मासिक आधार पर बिल तैयार करेगा और इसके लिए भुगतान बैंक द्वारा किया

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

जाएगा। विक्रेता और उसके कर्मचारी बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में रहेंगे और परिसर में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए उनसे आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

- ii. बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश और इससे पहले संदर्भित विशेष शर्तें सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगी। विक्रेता बैंक के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से करेगा।
- iii. साझेदारी फर्म के मामले में, फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है।
- iv. निविदा की स्वीकृति के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता/विक्रेता उसमें निर्दिष्ट तारीख से अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता/विक्रेता को वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। सफल निविदाकर्ता/विक्रेता गोवा राज्य में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त समझौते पर उचित और आवश्यक स्टाम्प शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की अपर्याप्तता या अनुपयुक्तता के कारण अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जुर्माना या अन्यथा बैंक द्वारा वहन की गई कोई भी आर्थिक देयता ठेकेदार को सौंप दी जाएगी और बैंक बैंक को प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी से या ठेकेदार द्वारा उठाए गए बिलों से राशि वसूल करने का हकदार होगा। जहां सुरक्षा जमा राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया जाता है, विक्रेता तुरंत उपयोग की गई राशि की भरपाई करेगा। ऐसा करने में विफलता समझौते का उल्लंघन हो सकती है और इसके परिणाम होंगे।

21. लाइसेंस और पंजीकरण

- i. विक्रेता प्रतिष्ठान चलाने के लिए संबंधित श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उत्पादन अधिनियम, 1970) के अंतर्गत अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करेगा। विक्रेता द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन को शासित करने वाले नियमों और विनियमों के विक्रेता द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- ii. विक्रेता खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों और जलपान की तैयारी और बिक्री से संबंधित सभी नगरपालिका और अन्य नियमों का पालन करेगा और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस सहित आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करेगा।

22. अन्य शर्तें

1. इस अनुबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के अधिकृत अधिकारी ठेकेदार को मौखिक या लिखित रूप में निर्देश जारी करेंगे और ऐसे अनुदेश इस अनुबंध का अभिन्न अंग माने जाएंगे और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होंगे। इस अनुबंध से संबंधित या आकस्मिक सभी मामलों में, यदि कोई संदेह या विवाद या असहमति उत्पन्न होती है, तो बैंक का निर्णय ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
2. यह सुनिश्चित करना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि इस अनुबंध की शर्तों के तहत दायित्वों का विधिवत पालन और पालन किया जाता है।
3. विक्रेता सभी वैधानिक आवश्यकताओं और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के प्रमाण के रूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों, रजिस्ट्रों और रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेजों को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।
4. विक्रेता अपनी लागत पर, कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा, इरादे और विनिर्देशों के अनुसार एक साथ लिया गया है कि क्या इसे विशेष रूप से दिखाया या वर्णित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके, और यदि विक्रेता को कोई विसंगति मिलती

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

है तो वह तुरंत करेगा, और लिखित रूप में, बैंक को संदर्भित करें जो उस पर निर्णय लेगा।

5. सभी सामग्रियां जहां तक प्राप्य हों, समतुल्य प्रकार की होंगी और बैंक के अनुदेशों के अनुसार होंगी और विक्रेता बैंक के अनुरोध पर इसे सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उनका अनुपालन करती है। विक्रेता अपनी लागत पर बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या परीक्षण करेगा।
6. विक्रेता अनुबंध अवधि के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण देगा, और उसके बाद जब तक बैंक आवश्यक समझे। विक्रेता इस अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए व्यक्ति को नामित/पहचान करेगा और समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय बैंक को ऐसे व्यक्ति का संपर्क विवरण प्रदान करेगा। बैंक द्वारा विक्रेता के प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।
7. विक्रेता बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण और सामग्री की जांच और माप/गणना के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। बैंक के पास विक्रेता या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न होने की सूचना देने की शक्ति होगी और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा, या विक्रेता द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/प्रबंधक द्वारा ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से विक्रेता को उस उपाय के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी भी चरण में मौजूद पाया जा सकता है।
8. संविदा में शामिल संपूर्ण कार्य विक्रेता द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और विक्रेता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा या उसके किसी भाग के हिस्से या उसके किसी हित को हस्तांतरित, समनुदेशित या कम नहीं करेगा; और कोई भी उपक्रम विक्रेता को अनुबंध की पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या अनुबंध के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।
9. यदि विक्रेता, बैंक से अनुपालन की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के तुरंत बाद अनुपालन करने में विफल रहता है, तो बैंक अन्य व्यक्तियों को ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित और भुगतान कर सकता है जो भी आवश्यक हो, और इसके संबंध में हुई सभी लागतें बैंक द्वारा विक्रेता से डेबिट के रूप में वसूल की जाएंगी या विक्रेता को देय किसी भी धन से काटी जा सकती हैं।
10. सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी लेने पर, विक्रेता अपने कर्मियों को उचित कार्य सौंपने के लिए तंत्र तैयार करेगा जिसे बैंक/उसके प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। तत्पश्चात्, ठेकेदार अपनी प्रणाली को और कारगर बनाने के लिए बैंक की अनुमति से समय-समय पर सौंपे गए कार्य की समीक्षा करेगा।
11. इसके सभी या किसी भी मामले के संबंध में बैंक द्वारा निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र (भुगतान को छोड़कर) (जो मामले यहां स्वीकृत मामलों के रूप में संदर्भित हैं) अंतिम और निर्णायक और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होंगे और अपील के बिना होंगे।
12. यदि बैंक किसी कारण से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर अथवा किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में विक्रेता द्वारा नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए बाध्य है तो बैंक इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की राशि विक्रेता से वसूल करने का हकदार होगा। बैंक को प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी से या इस संविदा के तहत विक्रेता को बैंक द्वारा देय किसी राशि में से या अन्यथा बैंक द्वारा देय राशि में से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी भाग की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. किसी भी मामले में, यदि यह पाया जाता है कि विक्रेता का कर्मचारी विक्रेता से ऐसी राशि का वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है, तो बैंक अपने विवेक पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

14. एकल स्वामित्व फर्म के मामले में, मालिक को ठेका दिए जाने के बाद मालिक को किसी अन्य इकाई / मालिक के साथ साझेदारी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, फर्म को बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी फर्म को कंपनी में बदलने की अनुमति नहीं है।
15. विक्रेता को बैंक द्वारा अनुदेश दिया जा सकता है कि वह संविदा की वैधता के दौरान यथासमय बैंक की आवश्यकतानुसार अधिक कामगारों को नियोजित करे और अतिरिक्त संख्या में कामगारों के लिए मजदूरी की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा तदनुसार की जाएगी। इसके अलावा, अनुबंध के दायरे में काम का दायरा/कमरों की संख्या भी बैंक की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में अतिरिक्त लागत दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होगी।
16. सबलेटिंग: विक्रेता बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/संगठन को अनुबंध या उसके किसी भाग को सबलेट, ट्रांसफर या असाइन नहीं करेगा।

23. विवाद समाधान

- i. समझौते के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को भेजा जाएगा और उनका निर्णय, लिखित रूप में, अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- ii. यदि पक्ष निर्णय पर सहमत नहीं होते हैं, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे और मध्यस्थता पणजी में आयोजित की जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान विक्रेता इस समझौते के तहत अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे विवाद, मतभेद, प्रश्न, यदि कोई हों, को पणजी में उत्पन्न माना जाएगा और केवल पणजी में अदालतों के पास ही उन पर निर्णय करने का विशेष अधिकार होगा। तथापि, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए न गए किसी विवाद/मुद्दे के लिए कानूनी क्षेत्राधिकार केवल पणजी होगा।

24. किरायेदारी के अधिकार:

इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विक्रेता या उसके व्यक्तियों के पक्ष में कोई किरायेदारी सृजित करता है और बैंक यहां विनिदष्ट शर्तों के अनुसार किसी भी समय संविदा की समाप्ति को प्रभावी कर सकता है, संविदा के सम्यक निष्पादन के लिए विक्रेता को बैंक द्वारा प्रदत्त भाग का पुनः प्रवेश और पुनः प्रवेश कर सकता है और अपने काम से बेदखल कर सकता है।

25. बैंक के अधिकारों का प्रयोग करने में विफलता

विक्रेता के साथ अनुबंध की शर्तों के तहत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी समय बैंक की ओर से कोई चूक बैंक की ओर से अपने अधिकारों की छूट के रूप में राशि नहीं मानी जाएगी और किसी भी तरह से शर्तों की वैधता और बैंक के विशेषाधिकार को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगी या बाद में किसी भी समय अपने अधिकारों को लागू करने के लिए बैंक का विशेषाधिकार प्रभावित नहीं करेगी।

26. अनुबंध की समाप्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

- i. अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि विक्रेता करार के अनुसार अपने किसी दायित्व/कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है या किसी सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है तो बैंक द्वारा बिना कोई कारण बताए संविदा समाप्त की जा सकती है।
- ii. विक्रेता द्वारा अनुबंध की समाप्ति
विक्रेता अनुबंध प्रदान करने की तारीख से न्यूनतम 06 महीने की अवधि के लिए अनुबंध को समाप्त नहीं करेगा और उसके बाद लिखित में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों की पूर्व सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है, यदि वह सेवाओं को रोकने का निर्णय लेता है। 06 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफलता के मामले में, बैंक को सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार है।
- iii. विक्रेता की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार (यदि व्यक्ति हो)
इस संविदा के अंतर्गत किसी भी अधिकार अथवा उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विक्रेता, व्यक्ति/स्वामी होने के नाते, मर जाता है या अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तो बैंक के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा। तथापि, यदि विक्रेता ने समनुदेशन के वैध और पंजीकृत विलेख के तहत अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था और संविदा पर हस्ताक्षर करते समय संबंधित दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत किए थे तो बैंक उक्त प्रतिनिधि के साथ संविदा जारी रख सकता है, यदि वह चाहे तो उसी निबंधन एवं शर्तों के अधीन नया करार करके और बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कर सकता है।

अं) अप्रत्याशित घटना

यदि अनुबंध की मुद्रा के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगों, हड़तालों, आंधी, ईश्वर के कृत्यों आदि के रूप में कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के होने के बारे में सूचित करेगा। न तो पार्टी करेगा, इस तरह की घटना के कारण, अपने दायित्वों के इस तरह के प्रदर्शन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर, अनुबंध को समाप्त कर सकता है। कि इस अनुबंध के कई हिस्सों को विक्रेता द्वारा पढ़ा गया है और विक्रेता द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

विक्रेता पुष्टि करता है कि इस अनुबंध के सभी हिस्सों को विक्रेता द्वारा पढ़ा गया है और इसके द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

यदि विक्रेता एक साझेदारी या व्यक्तिगत स्वामित्व है	जिसकी गवाही में बैंक और ठेकेदार ने इन उपहारों के लिए अपने-अपने हाथ रखे हैं और इसके दो डुप्लिकेट यहां पहले दिन और वर्ष के ऊपर लिखे गए हैं।
--	---

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

यदि विक्रेता एक कंपनी है	जिसके साक्षी में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन उपहारों पर हाथ रखा है और ठेकेदार ने अपनी सामान्य मुहर को यहां चिपका दिया है और उक्त दो डुप्लिकेट को अपनी ओर से निष्पादित किया जाना है, दिन और वर्ष पहले ऊपर लिखा गया है।
--------------------------	---

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्दगी
(नाम और पदनाम) की उपस्थिति में –

गवाहों–

1. _____

पता: _____

2. _____

पता: _____

यदि पार्टी पार्टनरशिप फर्म या व्यक्तिगत स्वामित्व है

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित - गवाहों की उपस्थिति में -

1. _____

पता: _____

2. _____

पता: _____

मुहर _____

यदि ठेकेदार एक कंपनी है

आयोजित बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में प्रेषित।

की उपस्थिति में – साक्षी –

1. _____

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

पता: _____

2. _____

पता: _____

यदि ठेकेदार कॉमन मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर को एसोसिएशन के लेखों में सीलिंग क्लॉज के साथ मेल खाना चाहिए

जिन निदेशकों ने इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनकी उपस्थिति में-

1. _____

2. _____

यदि अनुबंध पर पावर ऑफ अटॉर्नी से हस्ताक्षर किए गए हैं, चाहे वह कंपनी या व्यक्ति का हो

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित -

ठेकेदार के हाथ से

श्री/श्रीमती।

और विधिवत गठित वकील।

खंड V

अनुबंध के नियम और शर्तें

1. प्रदर्शन बैंक गारंटी

- 1.1. सफल बोलीदाता करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक (1) माह की अवधि के भीतर बैंक को निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। संविदा के सम्यक निष्पादन के लिए निष्पादन बैंक गारंटी संविदा की समाप्ति के बाद तीन माह तक की अवधि के लिए वैध संविदा के सम्यक निष्पादन निष्पादन के लिए निविदा मूल्य का 10% (निकटतम दस हजार रुपये तक पूर्णांकित की गई) होगी। बैंक द्वारा संविदा के नवीकरण के मामले में निष्पादन बैंक गारंटी का नवीकरण एक/दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाएगा। करार की अवधि के दौरान निष्पादन बैंक गारंटी की राशि के लिए ठेकेदार को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 1.2. बैंक गारंटी का भुगतान करने में विफलता को अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के रूप में माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अनुबंध के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा और ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। बोलीदाता/ठेकेदार बैंक द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 1.3. निष्पादन बैंक गारंटी बैंक द्वारा संविदा के सफलतापूर्वक पूरा होने और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों से कोई देयता न होने के संतुष्ट होने के बाद ही जारी की जाएगी। निष्पादन बैंक गारंटी का निर्वहन ठेकेदार से वसूली योग्य सभी देयताओं, देयताओं आदि को समायोजित करने के बाद ही किया जाएगा।
- 1.4. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निष्पादन बैंक गारंटी के किसी भी हिस्से या पूरी राशि को ठेकेदार की ओर से विफलताओं के कारण या अनुबंध की समाप्ति के कारण या अनुबंध की समाप्ति के कारण या अनुबंध की समाप्ति के कारण या संरचना में परिवर्तन के कारण या समझौते के तहत बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने के लिए वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे नुकसानों, क्षतियों, प्रभारों, खर्चों या लागतों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 1.5. यदि सफल ठेकेदार अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो निष्पादन बैंक गारंटी को बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर लिया जाएगा।

2. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं:

- 2.1 गैस स्टोव, सिलेंडर, ग्राइंडर, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, लिनन के भंडारण के लिए अलमारी और क्रॉकरी/खाद्यान्न आदि के भंडारण की सुविधा जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ रसोईघर।
- 2.2 क्रॉकरी, पानी के जग, कटलरी और सभी खाना पकाने के बर्तन/धूपदान, प्रेशर कुकर आदि।
- 2.3 कमरों में फर्नीचर, डाइनिंग हॉल, लाउंज, कार्यालय के कमरे आदि।
- 2.4 सभी बेडरूम/कमरों के लिए लिनन।
- 2.5 टीवी, एसी, गीजर, वाशिंग मशीन और वाटर प्यूरीफायर आदि जैसे उपकरण। सभी उपलब्ध पूंजीगत

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

उपकरण जैसा है, जहां स्थिति है, उस पर दिया जाएगा।

2.6 हाउसकीपिंग और प्रबंधन के लिए फर्नीचर, गद्दा, बिस्तर, सोफा आदि।

3. उद्धृत कीमतों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी लागू कर (जीएसटी के अलावा), स्थानीय लेवी आदि, ठेकेदार लाभ, ओवरहेड खर्च और अन्य खर्च शामिल होंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तारीख के पश्चात, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है, संविधि द्वारा कोई और कर या लेवी या उपकर लगाया जाता है और उसके बाद ठेकेदार आवश्यक रूप से और उचित रूप से ऐसे करों/उद्घरणों/उपकर का भुगतान करता है, तो ठेकेदार को इस प्रकार भुगतान की गई राशि की प्रतिपूत की जाएगी, बशर्ते कि ऐसे भुगतान, यदि कोई हों, बैंक की राय में (जिसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) नहीं है, जो ठेकेदार के नियंत्रण और स्वच्छता के भीतर काम का निष्पादन। ठेकेदार को ऐसे किसी और कर या लेवी या उपकर के अधिरोपण के 30 दिनों की अवधि के भीतर, बैंक को एक लिखित सूचना देनी होगी कि इस शर्त के अनुसरण में दिया गया है, साथ ही इससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी भी होगी।

4. बोलीदाता को यह भी नोट करना चाहिए कि उद्धृत दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। कार्य का दायरा कार्य की कुल सीमा को इंगित करता है, जिसमें इस प्रकार परिभाषित दायरे के इरादे को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य छोटे कार्य भी शामिल हैं।

5. भाग 'III' - मूल्य बोलियों में भारतीय रुपए में केवल आंकड़े और शब्द दोनों में प्रारूप के अनुसार मूल्य शामिल होंगे। निविदा के भाग-II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।

6. बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे दरों का उल्लेख करते समय उचित सावधानी बरतें। उद्धृत दरें असामान्य रूप से उच्च दरें (एएचआर) या असामान्य रूप से कम दरें (एएलआर) नहीं होनी चाहिए। यदि मूल्य बोली में किसी बोलीदाता द्वारा एएलआर उद्धृत किया जाता है, तो बैंक अनुबंध देने से पहले ऐसी बोलियों को अस्वीकार करने या अनुमानित दरों, प्रचलित बाजार दरों, अंतिम खरीद मूल्यों, अन्य इनपुट लागतों और आंतरिक मूल्य आदि के आधार पर कीमतों की तर्कसंगतता स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एएलआर उद्धृत करने वाले बोलीदाताओं के लिए, बैंक निष्पादन बैंक गारंटी की राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में इस धारा के पैरा 1 में यथा उल्लिखित लागू मूल्य/राशि के चार गुना तक बढ़ा सकता है, जिसे उस स्थिति में जब्त किया जा सकता है जब ऐसा ठेकेदार दी गई दरों पर संविदा निष्पादित करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7. दरों को भरने के लिए जमाकर्ता को एमएसटीसी/बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए फॉर्म का ही उपयोग करना चाहिए। अपलोड किए गए निविदा फॉर्म को अंग्रेजी में भरना होगा।

8. उद्धृत दरें संविदा के नवीकरण तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होंगी। इसके बाद, अनुबंध दरों में वृद्धि, यदि कोई हो, बैंक के विवेक पर और केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के संशोधन पर होगी।

9. अनुबंध शुरू में 06 महीने की अवधि के लिए होगा, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के साथ

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा बैंक के विवेक पर दो साल (एक बार में एक वर्ष) की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

10. विक्रेता को कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मूल्य बोली में उद्धृत दरों और कीमतों के बारे में निविदा देने से पहले खुद को संतुष्ट करने के लिए समझा जाएगा, जो दरें और कीमतें, अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करती हैं।

11. अनुबंध के प्रस्ताव की स्वीकृति सफल बोलीदाता द्वारा इस प्रकार सूचित की जाएगी कि कार्य की प्रस्ताव/अवार्ड जारी होने की तारीख से 4 दिनों के भीतर बैंक द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। इस अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने और तदनुसार संवाद करने में विफलता के परिणामस्वरूप ईएमडी की जब्ती और प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंक को बोलीदाता को तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में किसी निविदा में भाग लेने से वंचित करने का अधिकार होगा, हालांकि, ऐसा करने से पहले बैंक विक्रेता को सात दिन का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और यदि विक्रेता द्वारा ऐसे नोटिस के लिए कोई उत्तर दिया जाता है तो उस पर विचार कर सकता है।

12. विक्रेता के पास बैंक द्वारा सौंपे गए लिनन, क्राँकरी, उपकरण, जहाजों आदि के उचित रखरखाव, रखरखाव और हिरासत की पूरी जिम्मेदारी होगी। वीओएफ/टीएचएच चलाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा अपने खर्च पर आपूर्ति की गई सभी वस्तुएं सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए बैंक की संपत्ति होंगी।

13. ऐसी किसी भी सामग्री/जुड़नार/फर्नीचर के टूटने/चोरी/क्षति या हानि (प्राकृतिक टूट-फूट को छोड़कर) के कारण होने वाली हानियां या खराब और लापरवाह हैंडलिंग के कारण हुई क्षति की वसूली ठेकेदार से पूरी लागत पर देय राशि से या निष्पादन बैंक गारंटी से की जाएगी और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। विक्रेता ऐसी सभी क्षतियों/टूट-फूट के लिए रिकॉर्ड रखेगा।

14. जल और बिजली स्थलों पर उपलब्ध है और ठेकेदार द्वारा निशुल्क कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। कार्य के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार द्वारा पर्याप्त देखभाल की जाएगी ताकि बिजली और गैस की आपूर्ति, पानी और ड्रेनेज सिस्टम, आदि, जिसमें बैंक के परिसर सहित आसन्न संपत्तियों के लिए सामान्य लाइन हो सकती है, को परेशान नहीं किया जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा शुरू किए गए किसी कार्य के कारण इनमें से कोई भी सेवा बाधित होती है तो ठेकेदार उसे शीघ्रताशीघ्र बहाल कराने के लिए सभी कदम उठाएगा। इस खाते पर बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

15. विक्रेता बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को संविदा अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली हानि, क्षति या दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और उसका बचाव करेगा और उसे अच्छा रखेगा और संविदाकार या उसके सेवा कर्मियों द्वारा कदाचार के कारण किए गए उल्लंघन के लिए रखेगा, ठेकेदार या उसके सेवा कामकों द्वारा चूक और लापरवाही।

16. विक्रेता संबंधित केंद्रीय/राज्य निकाय के साथ पंजीकृत होगा और राज्य श्रम/भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) के नियमों और विनियमों और अन्य सभी सांविधिक अधिनियमों/विनियमों और इस अनुबंध से संबंधित नियमों का पालन करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उपर्युक्त नियमों में से किसी की लापरवाही या गैर-अनुपालन के कारण ठेकेदार

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा की ओर से चूक से उत्पन्न होने वाली क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और रखेगा। विनियम, आदि।

17. विक्रेता या उसका स्टाफ बैंक परिसरों/कालोनी के परिसरों, संपत्तियों, जुड़नारों, फिटिंग आदि का उपयोग संविदा में स्पष्ट रूप से किए गए प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। बैंक के अधिकारी किसी भी समय परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं और फ्लैटों में मेहमानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण कर सकते हैं।

18. विक्रेता को परिसर से कचरे के संग्रहण, हैंडलिंग, निपटान और हटाने के लिए एक उचित तंत्र (गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने सहित) स्थापित करना चाहिए और इस संबंध में सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

19. विक्रेता बैंक द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों और सामग्रियों की पर्याप्त देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसे समय-समय पर किए जाने वाले मरम्मत और रखरखाव कार्य को बैंक के ध्यान में लाना चाहिए। यदि सामान्य टूट-फूट को छोड़कर, कामगारों के गलत संचालन/लापरवाही के कारण उपस्कर की कोई मरम्मत की जानी है तो उक्त मदों की मरम्मत ठेकेदार द्वारा इसकी लागत पर की जाएगी।

20. विक्रेता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को संविदा के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई आवधिक समीक्षा बैठकों अथवा जब कभी अपेक्षित हो, में भाग लेना होता है।

21. विक्रेता कार्य के निष्पादन के दौरान और उसके बाद अनुबंध के तहत दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए आवश्यक सभी आवश्यक अधीक्षण प्रदान करेगा। रिसेप्शनिस्ट / हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक, हाउसकीपर, कुक, रसोई सहायक / वेटर, माली और अन्य सहायक कर्मचारी और उनकी योग्यता और अनुभव कार्य के दायरे में निर्दिष्ट से कम नहीं होगा। रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पर्यवेक्षण के लिए कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा और निर्देश लेने के लिए बैंक और/या उसके नामित प्रतिनिधि के समक्ष आवश्यकतानुसार स्वयं को भी प्रस्तुत करेगा। रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को दिए गए निर्देशों को वही बल माना जाएगा जैसे कि ये ठेकेदार को दिए गए हैं। रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर और अन्य स्टाफ निर्दिष्ट अवधि के दौरान और जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो, साइट पर पूरी तरह से उपलब्ध होंगे और बैंक या उसके नामित प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा दिए गए निर्देशों को भी नोट करेंगे। आवश्यक रजिस्टर जैसे शिकायत रजिस्टर, सामग्री रसीद/उपभोग रजिस्टर/श्रम उपस्थिति रजिस्टर, आदि को रिसेप्शनिस्ट / हाउसकीपिंग सुपरवाइजर द्वारा दैनिक आधार पर सख्ती से बनाए रखा जाएगा।

22. बैंक या बैंक के कर्मचारियों की चल या अचल संपत्ति को किसी भी नुकसान के कारण होने की स्थिति में, बैंक पैसे के रूप में नुकसान की गणना करने और ठेकेदार के बिल से या प्रदर्शन बैंक गारंटी से कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. ठेकेदार बैंक के लोगो और या व्यापार नाम या बैंक के लेटर हेड का उपयोग नहीं करेगा और ठेकेदार और बैंक के बीच संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर होने के कारण, ठेकेदार खुद को बैंक के एजेंट के रूप में नहीं रखेगा। ठेकेदार किसी भी सरकार/स्थानीय निकाय या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति के साथ पंजीकरण या संचार के प्रयोजनों के लिए अपने लेटरहेड/स्टेशनरी पर बैंक के पते का उपयोग नहीं करेगा और बैंक के परिसर में इसके कामगार/कर्मचारी की उपस्थिति से कोई किरायेदारी नहीं बनाई जाएगी।

24. ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की आवश्यकता के अनुसार सभी रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का रखरखाव करेगा और आवश्यकता पड़ने पर बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

25. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय श्रमिक, अकुशल और कुशल, जहां तक संभव हो और स्थानीय संसाधनों से उपलब्ध हों, को कार्य पर अधिमानत नियोजित किया जाए।

26. बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों, सभी उचित समय पर, काम और अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी, और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधियों को निरीक्षण और परीक्षा और सामग्री के परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। लोक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक द्वारा अधिकृत नहीं किए गए व्यक्तियों को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. बैंक इस अनुबंध में शामिल किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइटों के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करने की इच्छा कर सकता है, और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा लेकिन बैंक के साथ विशेष व्यवस्था को छोड़कर इस तरह के काम के निष्पादन के लिए कोई उपकरण या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह के काम को इस तरह से किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस तरह के काम से हो सकता है या हो सकता है।

28. सफल निविदाकर्ता कार्य के प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्य के सभी मदों को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी मदों को कार्य के दायरे और दरों में शामिल नहीं किया गया हो। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेश की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी। बैंक अपने विवेक से अनुबंध में रहते हुए कार्य के दायरे को बढ़ा सकता है और अनुबंध राशि की संबंधित वृद्धि आपसी समझौते के साथ की जा सकती है।

29. यदि संविदा का भाग बनने वाले किसी एक दस्तावेज में अलग-अलग या परस्पर विरोधी प्रावधान किए गए हों तो बैंक दस्तावेज के आशय के संबंध में निर्णायक प्राधिकारी होगा और इसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

30. स्वामित्व के मामले में, विधिवत निष्पादित असाइनमेंट डीड ऑफ समनुदेशन स्पष्ट रूप से उस प्रतिनिधि की पहचान करता है जो मालिक की मृत्यु के मामले में संविदात्मक दायित्व निभाने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, ऐसी स्थिति में, विशुद्ध रूप से स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, बैंक द्वारा निर्धारित की गई अवधि के लिए संविदा को जारी रखना बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा।

31. ठेकेदार बैंक के सभी कार्य दिवसों पर या बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य दिनों में बैंक के कार्यालय में सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

मैंने/हमने ऊपर उल्लिखित नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है और यदि प्रदान किया गया हो तो अनुबंध निष्पादित करने के लिए इसे स्वीकार करते हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर: हस्ताक्षरकर्ता का नाम ()

(ब्लॉक कैपिटल अक्षरों में):

हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् मालिक/भागीदार/निदेशक की स्थिति:.....

दिनांक :.....

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

खंड VI

मूल्यांकन मानदंड

1. भाग-I, तकनीकी बोली मूल्यांकन: बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा का मूल्यांकन नीचे वर्णित अनुसार किया जाएगा:
 - अ. सबसे पहले, भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकर्ता पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट तकनीकी मूल्यांकन के लिए सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
 - आ. पात्रता मानदंड में उल्लिखित विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेज तकनीकी मूल्यांकन के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अपलोड की गई निविदाओं को बैंक द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
 - इ. बैंक पात्रता मानदंडों के साथ-साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेगा और तकनीकी बोली मूल्यांकन में योग्यता के बारे में निर्णय लेगा।
 - ई. बैंक अपने विवेकानुसार किसी बोलीदाता से अपनी निविदा या अपने किसी भी प्रस्तुतीकरण के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी। निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेशकश नहीं की जाएगी, या अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - उ. यदि कोई बोलीदाता बैंक द्वारा निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।

नोट: - एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा जमा करते समय सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए।

2. भाग- II, वित्तीय बोली मूल्यांकन:

- अ. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता भाग-II वित्तीय बोलियां खोलने के अगले चरण के लिए पात्र होंगे। बैंक केवल ई-मेल द्वारा वित्तीय बोली खोलने के लिए समय/स्थान की सूचना पात्र बोलीदाताओं को देगा।
- आ. सबसे कम वित्तीय बोली वाले बोलीदाता को एल 1 कहा जाएगा और उसे काम सौंपा जाएगा।
- इ. यदि स्थिति उत्पन्न होती है, जहां दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की वित्तीय बोली समान है, तो उस स्थिति में बैंक पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) में उच्च औसत वार्षिक कारोबार वाली फर्म को पहली वरीयता देगा।

खंड VII

कार्य का दायरा

1. शीर्षक वाली निविदा के अंतर्गत कवर की गई सेवाओं को नीचे दिए गए पतों पर प्रदान करना आवश्यक होगा:
 - अ) बैंक का मुख्य कार्यालय 7 वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम- II, पट्टो प्लाजा, पणजी में स्थित है
 - आ) बैंक के क्वार्टर (O-i-C बंगला, बैंक के फ्लैट और एसआरए सहित), सेंट इनेज़, पणजी में स्थित विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स
 - इ) बैंक के पट्टे पर फ्लैट पणजी और उसके आसपास स्थित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

ई) किसी अन्य स्थान पर जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकता है।

रसोई और डाइनिंग हॉल सेंट, इनेज़ क्वार्टर में स्थित है।

श्रमिकों की तैनाती 24X7X365 आधार पर होगी। हालांकि, बैंक के मुख्य कार्यालय में, रात में ठहरने की आवश्यकता जरूरत के अनुसार या आरबीआई द्वारा दी गई सलाह के अनुसार होगी।

2. उपर्युक्त बिंदु 1 पर उल्लिखित पतों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है*:

बैंक का मुख्य कार्यालय	संपूर्ण कार्यालय परिसर
बैंक के क्वार्टर	01 ओआईसी बंगला, 01 फ्लैट और 02 एसआरए
विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स	04 कमरे
ट्रांजिट हॉलिडे होम	04 कमरे
पट्टे पर फ्लैट्स	पणजी में और उसके आस-पास

*उपर्युक्त सूचना में उन फ्लैटों की संख्या भी शामिल है जिनका कार्यालय द्वारा इस समय नवीकरण किया जा रहा है और क्वार्टरों में कमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की संख्या समय-समय पर भिन्न हो सकती है।

3. हाउसकीपिंग और रखरखाव: यहां प्रदान किया जाना है:

a) बैंक का मुख्य कार्यालय

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	पात्रता एवं आवृत्ति
1.	ठेकेदार सभी सफाई कार्यों जैसे सामान्य क्षेत्र, मार्ग और लॉबी की सफाई और मोपिंग, प्रत्येक केबिन, सम्मेलन कक्ष और कार्यालय परिसर में स्थित अन्य कार्य क्षेत्रों की सफाई, प्रत्येक विभाग / अनुभाग में फर्नीचर की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा।	दैनिक
2.	बैंक के सभी विभागों के स्टोररूम, बुक वॉल्ट, रिकॉर्ड रूम आदि की सफाई।	दैनिक
3.	कैंटीन/ओएलडीआर की सफाई और बैंक के निर्देशों के अनुसार कैंटीन में विविध कार्य करना।	दैनिक
4.	किसी भी दिन बैंक के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों या किसी अन्य क्षेत्र की विशेष सफाई।	जब और जैसे निर्देश दिया जाता है।
5.	बरामदे को साप्ताहिक रूप से डिस्टर्जेंट, लिजोल, फिनाइल और अन्य आवश्यक सफाई सामग्री से धोया जाएगा। झाड़ू लगाने और पोछा लगाने का काम सुबह और दोपहर दोनों समय किया जाएगा। बैंक इन क्षेत्रों की सफाई की आवृत्ति बढ़ा सकता है।	दैनिक
6.	दीवार, खिड़कियों, छत और आवश्यकतानुसार ऐसे क्षेत्रों से मकड़ी के जाल, दाग, गंदगी को हटाना।	दैनिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

7.	आवश्यकतानुसार विद्युत फिटिंग और फिक्स्चर (छत के पंखे, निकास पंखे, एसी, लाइट आदि) की सफाई।	दैनिक
8.	बैंक परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित वाटर डिस्पेंसर/वाटर प्यूरीफायर के आसपास के क्षेत्रों की सफाई।	दैनिक
9.	कार्यालय परिसर में प्रतीक्षा क्षेत्र, मनोरंजन/खेल कक्ष, आगंतुक कक्ष आदि की सफाई और मोपिंग।	दैनिक
10.	मार्ग को हर समय साफ रखें, भले ही इसे बार-बार सफाई की आवश्यकता हो।	दैनिक
11.	गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर बैंक के निर्देशानुसार कोई विशेष सफाई की जाएगी।	दैनिक
12.	निरंतर सफाई, स्वच्छता का रखरखाव और बैंक में फर्श और सामान्य क्षेत्र की पोछा कार्यालय समय के दौरान की जानी चाहिए ताकि यह एक साफ और सूखा रूप बनाए रखे।	दैनिक
13.	हाउसकीपिंग स्टाफ आवश्यक सफाई सामग्री के साथ कार्यालय परिसर के सभी बॉशरूम और शौचालयों में टॉयलेट पॉट, सीट/मूत्रालय के बर्तन, प्लेटफॉर्म, सिंक, बॉश बेसिन, टाइल्स, फर्श, रैक, कांच के शीशे आदि सहित बॉशरूम/शौचालयों की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा।	दैनिक/कई बार
14.	सामान्य शौचालयों और सामान्य क्षेत्र की सफाई नियमित रूप से प्रति घंटा के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर सुबह 7.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक सर्वोत्तम और ब्रांडेड सफाई समाधान, सामग्री, मशीनीकृत स्क्रबिंग आदि के साथ आयोजित की जाएगी। कार्यालय समय के दौरान शौचालय के फर्श को सूखा बनाए रखने की आवश्यकता होती है।	दैनिक
15.	पूरी तरह से झाड़ू, धोने, पोछा लगाने और शौचालयों के अंदर फर्श और दीवार के डैडो को साफ़ करना। उपयुक्त सिरेमिक टाइलों की सफाई रसायनों के साथ शौचालय के फर्श और टाइलों की धुलाई।	दैनिक
16.	बॉशरूम/शौचालयों की दीवारों की सफाई और छत को मकड़ी के जालों, गंदगी, दाग आदि से मुक्त रखना।	दैनिक
17.	खिड़कियों, खिड़कियों के शीशे, ग्रिल, दरवाजे, वेंटिलेटर, छत, दीवार की सफाई, नलसाजी और सैनिटरी फिटिंग और जुड़नार, चमकता हुआ वेंटिलेटर, आदि।	दैनिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

18.	वॉशरूम में प्रदान किए गए सामान जैसे बाल्टी/मग/ साबुन का डिब्बा आदि की सफाई।	दैनिक
19.	वॉशरूम और आसपास के क्षेत्र में रखे डस्टबिन को निर्दिष्ट स्थानों पर नियमित आधार पर खाली किया जाएगा।	दैनिक
20.	वॉशरूम में साबुन डिस्पेंसर को नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले तरल साबुन के साथ ऊपर रखा जाना चाहिए। उक्त के विषय ने बैंक के नोडल कर्मचारीको विवरण सूचित किया जाएगा।	दैनिक
21.	दैनिक आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि शौचालयों में सभी सहायक उपकरण / उपकरण जैसे नल / सिंक / गीजर / फ्लश / शॉवर / अन्य सैनिटरी फिटिंग आदि काम करने की स्थिति में हैं और यदि नहीं, तो तुरंत बैंक के संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दें।	दैनिक
22.	बैंक द्वारा समय-समय पर पारित कोई अन्य अनुदेश।	जब और जैसे निर्देश दिया जाता है।

a) सभी सफाई सामग्री और उपकरण बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठेकेदार को बैंक को अग्रिम रूप से आवश्यक सामग्रियों की मांग पत्र उपलब्ध करानी होती है।

b) ठेकेदार बैंक द्वारा प्रदान किए गए सफाई उपकरणों के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

c) सुबह सफाई गतिविधि सुबह 8.00 बजे या बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार शुरू होगी।

d) फिटिंग/फिक्स्चर की किसी भी क्षति या चोरी को तुरंत बैंक के केयरटेकर/सुरक्षा अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा।

b) विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स:

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	पात्रता एवं आवृत्ति
1.	गलियारों और कमरों की सफाई	प्रतिदिन
2.	बिस्तर बनाना / व्यवस्थित करना	प्रतिदिन, जब फ्लैट अधिगृहीत हो
3.	स्नान तौलिया, दरवाजे के मैट और हाथ के तौलिये उपलब्ध कराना	प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सेट (अधिकतम 2 सेट)। इसे प्रतिदिन बदला जाना चाहिए।
4.	कमरों, बाथरूम, शौचालय आदि की सफाई	प्रतिदिन
5.	बिस्तर के चादर, तकिया और तकिया कवर की व्यवस्था	अधिगृहीत होने की स्थिति में एकांतर दिनों में या आवश्यकता के अनुसार या अतिथि द्वारा मांगने पर बदलना आवश्यक है।
6.	फर्श क्षेत्र की मशीनी धुलाई और रगड़ना,	साप्ताहिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

	फर्श क्लीनर, डिटर्जेंट, धूल हटाने वाले रसायनों और फर्श क्षेत्रों की पॉलिश आदि के साथ	
7.	कीटाणुओं, धूल, कीट, कीड़े, कीट आदि को हटाना	साप्ताहिक या चेक-आउट के समय
8.	खिड़कियों की स्पंजिंग और सफाई	साप्ताहिक या चेक-आउट के समय
9.	छत, टेबल/पेडेस्टल पंखे, एयर-कंडीशनिंग, प्रकाश उपकरण, गिल्स को धूल मुक्त रखना	साप्ताहिक या चेक-आउट के समय
10.	फ्लैट में डस्टबिन और बाल्टी की सफाई डिटर्जेंट के साथ	साप्ताहिक या चेक-आउट के समय
11.	सैनिटरी वेयर और प्लंबिंग फिटिंग्स की सफाई प्रतिष्ठित ब्रांडिड उत्पादों का उपयोग करके	साप्ताहिक या चेक-आउट के समय
12.	सभी अधिगृहीत कमरों / सामान्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले एयर फ्रेशनर्स का छिड़काव	प्रतिदिन या जब भी अनुरोध किया जाए
13.	अधिगृहीत कमरों / सामान्य क्षेत्रों में तरल मच्छर भगाने वाला / स्प्रे	ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मच्छर भगाने वाला तरल पदार्थ नियमित रूप से भरा रहे।
14.	डिश टीवी, इंटरनेट के पुनः आवेदन की जानकारी रखना	ठेकेदार को इसकी जानकारी रखनी होगी। बैंक के प्रतिस्थापन के लिए संपर्क केंद्र बिंदु को विवरण सूचित किए जाने चाहिए। (भूमि विभाग का अधिकारी)
15.	छत, सीलिंग फैन, खिड़कियां, शीशे, सोफा सेट और फ्लैट में अन्य फर्नीचर की सफाई	प्रत्येक पखवाड़े या जब भी अनुरोध किया जाए
16.	पर्दों की सफाई	पर्दों की वैक्यूम क्लीनिंग साप्ताहिक आधार पर की जानी चाहिए। धब्बे हटाने के लिए स्टीम क्लीनिंग आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। पर्दों को तिमाही आधार पर ड्राई क्लीनिंग / लॉन्ड्री के लिए भेजा जाना चाहिए।
17.	दोषपूर्ण विद्युत उपकरणों (जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब आदि) का प्रतिस्थापन	ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कमरों में आपूर्ति किए गए सभी विद्युत उपकरण कमरा आवंटित करने से पहले कार्यात्मक स्थिति में हों। परिसर में प्रतिस्थापित किए जाने वाले दोषपूर्ण विद्युत उपकरणों के बारे में विवरण बैंक के संपर्क केंद्र बिंदु को सूचित किए जाने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, क्वार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

18.	दीवार के अलमारियों और मूत्रालय में नैफ्था बॉल्स का नियमित रूप से उपयोग	जब भी आवश्यकता हो
19.	बैंक के क्वार्टर्स और कार्यालय परिसर में बगीचे, लॉन और हॉर्टिकल्चरल कार्यों का रखरखाव और देखभाल: - बगीचे के क्षेत्र में सिंचाई, छंटाई, छांटना और सभी जंगली घास और खरपतवार हटाना। - लॉन में सूखे क्षेत्र को बैंक पर अतिरिक्त लागत के बिना उच्च गुणवत्ता वाली घास के साथ पुनः जोतना। - कीट, कवक और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण कीटनाशकों के साथ छिड़काव करके। - बगीचा / लॉन क्षेत्र को साफ-सुथरा रखना और सूखे / गिरे पत्तों और अन्य कचरा सामग्री को हटाना और निपटाना।	प्रतिदिन

अन्य शर्तें:

- सभी सफाई और बागवानी सामग्री और उपकरण बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ठेकेदार को बैंक को आवश्यक सामग्री का इंडेंट समय रहते देना होगा। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए सफाई उपकरणों के उचित उपयोग की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर मासिक बिलों के साथ लॉन्ड्री खर्च की वापसी की जाएगी।
- बैंक के क्वार्टर (O-I-C बंगला, बैंक के फ्लैट और एसआरए सहित) और पट्टे पर फ्लैट:

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	पात्रता एवं आवृत्ति
1.	फ्लैट की गहरी सफाई और डस्टिंग जिसमें कमरे, बालकनी, खिड़कियां, दर्पण, दरवाजे, कांच के जुड़नार, छत के पंखे, बिजली की फिटिंग आदि की सफाई शामिल है।	मासिक
2.	टॉयलेट पॉट, सीट/यूरिनल पॉट, प्लेटफॉर्म, सिंक, वॉश बेसिन, टाइल्स, फर्श, रैक, ग्लास मिरर आदि सहित वॉशरूम/शौचालयों की सफाई/स्क्रबिंग/मॉपिंग, खिड़कियां, खिड़कियां, खिड़कियां, ग्रिल, दरवाजे, वेंटिलेटर, सीलिंग, वॉल डैडो, प्लंबिंग और	साप्ताहिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

	सैनिटरी फिटिंग और फिक्स्चर, सभी वाशरूम में चमकता हुआ वेंटिलेटर और आवश्यक सफाई सामग्री के साथ फ्लैटों के शौचालय। वाशरूम/शौचालयों की दीवारों की सफाई और छत को मकड़ी के जालों, गंदगी, दाग आदि से मुक्त रखना।	
--	---	--

बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं प्रबंधन (खानपान सहित) में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) फ्रंट ऑफिस का प्रबंधन:

- कमरों का आवंटन प्राप्त करना और प्रबंधित करना (बैंक के निर्देशों के अनुसार) और वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे रिसेप्शन/फ्रंट ऑफिस का प्रबंधन करना।
- कमरे प्राप्त करना, आवंटित करना (बैंक के निर्देशों के अनुसार) और वीओएफ और टीएचएच में रहने के लिए आने वाले मेहमानों का मार्गदर्शन करना।
- ठेकेदार/ठेकेदार का स्टाफ किसी भी परिस्थिति में अपने स्तर पर कमरे आवंटित नहीं करेगा। रिसेप्शन/फ्रंट ऑफिस का प्रबंधन, वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे (365*24*7), आवंटन रजिस्टर का रखरखाव, और सामान्य क्षेत्र सहित कमरों का सही रखरखाव।
- सामान को गेट से कमरे में ले जाने और जाने की व्यवस्था। रसोई और डाइनिंग हॉल का संचालन और रखरखाव और बैंक के वीओएफ/टीएचएच में मेहमानों के खानपान की निगरानी और सुविधा फ्रंट ऑफिस द्वारा की जाएगी।
- अतिथियों/बैंक अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों/सुझावों का समेकन और उसे साप्ताहिक आधार पर बैंक को आगे प्रस्तुत करना।
- वीओएफ/टीएचएच में इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और बढईगीरी सामान की निगरानी और समय के भीतर आवश्यक रखरखाव कार्यों को शुरू करने के लिए बैंक को इसकी पूर्व सूचना। (इन सामान का रखरखाव बैंक द्वारा किया जाएगा।
- मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से जल निकासी की सफाई, कचरा निपटान (सूखा और गीला कचरा / प्लास्टिक और गैर-प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान, आदि) जैसे समग्र सामान्य रखरखाव सुनिश्चित करें।
- अतिथि के चेकआउट से पहले कमरे की उचित जांच और यह सुनिश्चित करना कि बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुएं जगह पर और अच्छी स्थिति में हैं।
- बैंक की संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा कमरेवार इन्वेंट्री रजिस्टर का रखरखाव किया जाना है। रजिस्टर को फ्रंट ऑफिस में रखा जाना चाहिए और बैंक के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, ठेकेदार फ्लैटों के अंदर रखी गई बैंक की सभी चल संपत्तियों को बनाए रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। किसी कमी, क्षति आदि के मामले में ठेकेदार अपनी लागत पर उसे बदलने के लिए उत्तरदायी होगा।
- फ्रंट ऑफिस स्टाफ को बैंक की आवश्यकतानुसार उचित रिकॉर्ड/रजिस्टर रखना होता है। अतिथि अधिभोग रजिस्टर का प्रारूप बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसे ठेकेदार द्वारा सुरक्षित रूप से रखा जाएगा।
- जैसे ही अतिथि वीओएफ/टीएचएच में आता है, रजिस्टर में सभी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां की जानी चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए हर समय उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखा

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्राजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

जाना चाहिए। बैंक को समय-समय पर औचक जांच करने का अधिकार है, ताकि अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

xii. फ्रंट ऑफिस स्टाफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेहमान अपने कमरे तक ले जाएँ तथा आवंटित कमरे में सामान ले जाने में मदद करें, उसकी सुविधा सुनिश्चित करें, उसे चाय / कॉफी / भोजन आदि की पेशकश करें, जो समय के अनुरूप हो। बैंक के साथ सभी पत्राचार ठेकेदार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/प्रबंधक के माध्यम से किया जाना है।

b) भोजन की तैयारी और भोजन क्षेत्र का प्रबंधन: ठेकेदार रसोई और भोजन क्षेत्र के एंड-टू-एंड संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें शामिल होंगे:

- i. रसोई और भोजन क्षेत्र का संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण।
- ii. ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य और पेय सेवाएं प्रदान करनी होती हैं जिनमें बैंक के साथ समझौते के अनुसार समय पर मेहमानों को उच्च मानकों पर नाश्ता, दोपहर का भोजन, नाश्ता और रात का खाना शामिल है, और जब भी आवश्यक हो और बैंक के निर्देश पर कक्ष सेवाएं प्रदान करना शामिल है। ठेकेदार रसोई और भोजन क्षेत्र के एंड-टू-एंड संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।
- iii. बैंक द्वारा निर्धारित नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने और स्नैक्स के लिए सांकेतिक मेनू के अनुसार
- iv. दोपहर का भोजन/रात का खाना/नाश्ते का आदेश मेहमानों से लिया जाएगा, और उचित समय पर उन्हें भोजन परोसा जाएगा।
- v. कच्चा माल सामग्री की सांकेतिक सूची में निर्दिष्ट होना चाहिए।
- vi. शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन अलग-अलग तैयार किए जाएंगे। मांसाहारी व्यंजन ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाले मटन या चिकन या मछली से बनाए जाएंगे; और इसे प्रतिष्ठित दुकान से खरीदा जाएगा। मांसाहारी वस्तुओं के टुकड़े बहुत छोटे या बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। अनावश्यक टुकड़े और छोटी हड्डी के टुकड़े हटा दिए जाएंगे। मांसाहारी वस्तुओं को पकाने से पहले अच्छी तरह से धोया और मैरीनेट किया जाना चाहिए।
- vii. ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार और इस संबंध में सरकार/नगरपालिका के अनुदेशों के अनुसार नियमित अंतराल पर दैनिक आधार पर बचे हुए खाद्य पदार्थों और अन्य कचरे के निपटान के लिए जिम्मेदार होगा।
- viii. ठेकेदार के कर्मचारी समय पर खाद्य पदार्थों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए रसोई की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का भंडारण करेंगे।
- ix. भोजन तैयार करना बिना किसी समझौते के सख्त स्वच्छ वातावरण में किया जाना है। स्टाफ सदस्यों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ-साथ ड्यूटी के दौरान स्वच्छ और उचित वर्दी पहनें।
- x. भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक रसोई उपकरणों की नियमित सफाई और उचित हैंडलिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। इस भाग पर किसी भी उल्लंघन को बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है।
- xi. ठेकेदार द्वारा रसोई, भोजन क्षेत्रों और कमरों में साप्ताहिक गहरी सफाई और कीट नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

4. नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने और स्नैक्स के लिए सांकेतिक मेनू इस प्रकार है:

पेय पदार्थ			
विवरण	दर	विवरण	दर
भोजन	रु. 15/- प्रति कप	ग्रीन/लेमन टी	रु. 10/- प्रति कप
कॉफ़ी	रु. 20/- प्रति कप	चीनी के साथ दूध	रु. 30/- प्रति ग्लास (250 मिली)
छाछ	रु. 15/-	लस्सी	रु. 40/-
ब्रेक फास्ट (समय: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक)			
विवरण	दर	विवरण	दर
आलू/गोभी/प्याज/मूली पराठा चटनी के साथ	रु. 50/- प्रति नग.	ब्रेड - आमलेट	चार नग ब्रेड और दो अंडे के लिए 40/- रुपये
सादा पराठा	रु. 15/- प्रति नग.	मक्खन के साथ ब्रेड टोस्ट / जैम	रु. 20/- प्रति दो नग.
सब्जी के साथ पूरी	रु. 50/- प्रति चार नग.	दही	रु. 15/प्रति कटोरी
पोहा	रु. 40/- प्रति प्लेट	उपमा	रु. 40/- प्रति प्लेट
मसाला डोसा (सांभर, चटनी सहित)	रु. 60/- प्रति प्लेट (1 नग)	सादा डोसा (सांभर, चटनी सहित)	रु. 50/- प्रति प्लेट (1 (सं.))
इडली (सांभर, चटनी सहित)	रु. 40/- प्रति प्लेट (2 नग)	वड़ा (सांभर, चटनी सहित)	रु. 60/- प्रति प्लेट (2 नग)
कॉर्नफ्लेक्स (15 ग्राम) गर्म/ठंडे दूध के साथ (200 मिली)		रु. 50/-	
दोपहर का भोजन (समय: दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक) और रात का खाना (समय: रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)			
शाकाहारी थाली: सादा चावल, दाल फ्राई, 04 चपाती, दो सब्जियां (ग्रेवी के साथ एक), दही, सलाद, अचार और पापड़		रु. 120/- प्रति व्यक्ति	
मांसाहारी थाली: चिकन / फिश / 2 अंडे की करी, सादा चावल, दाल फ्राई, 04 चपाती, सलाद, दही, अचार और पापड़		रु. 180/- प्रति व्यक्ति	
अलग आइटम			
विवरण	दर	विवरण	दर

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

चावल	रु. 50/- प्रति प्लेट	दाल मिक्स	रु. 60/- प्रति प्लेट
दाल फ्राई	रु. 80/- प्रति प्लेट	चिकन (4नग)	रु. 100/- प्रति प्लेट
मौसमी शाकाहारी	रु. 50/- प्रति प्लेट	मटर के साथ पनीर	रु. 100/- प्रति प्लेट
वेज पुलाव	रु. 100/- प्रति प्लेट	मिक्स वेज	रु. 60/- प्रति प्लेट
फलों की प्लेट (मौसमी)	रु. 80/- प्रति प्लेट	चपाती (फुल्का)	रु. 8/- प्रति नग.

- खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के लिए भुगतान अतिथि द्वारा सीधे ठेकेदार को ऊपर निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।
- रहने वाले द्वारा आदेशित किसी भी अन्य खाद्य तैयारी को ठेकेदार द्वारा प्रचलित बाजार दर पर चार्ज किया जाएगा।
- ठेकेदार द्वारा अतिथियों को कोई मादक पेय उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है!!
- VOF और THH में भोजन तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

A. उपभोग्य वस्तुएं	
आइटम	सांकेतिक ब्रांड
मक्खन	मदर डेयरी, अमूल, गोवर्धन, ब्रिटानिया, मिल्की मिस्ट
चाय/कॉफी/दही के लिए दूध	अमूल, गोकुल, मदर डेयरी, वारना
आइस्क्रीम	मदर डेयरी, अमूल, क्वालिटी वॉल्स, नेचुरल, दिनशॉ, बास्किन रॉबिंस
जाम	पतंजलि/ किसन
दही	अमूल/मदर डेयरी/मिल्की मिस्ट
ब्रेड	ब्रिटानिया / क्रेमॉक्स / माइल्स हाई
कॉर्नफ्लेक्स/ओट्स	पतंजलि/केलॉग्स
खाद्य परिष्कृत तेल	सफोला/सनड्रॉप/फॉर्च्यून/स्वीकार/पतंजलि (कोई एक)
गेहूं का आटा	आशीर्वाद सेलेक्ट/अन्नपूर्णा/नेचर क्रेश/पिल्सबरी/शक्ति भोग्स
चावल (बासमती)	कोहिनूर/इंडिया गेट/लाल किला/दावत (या आरबीआई द्वारा अनुमोदित प्रीमियम गुणवत्ता का कोई चावल)
मसाले	कैच/ एमडीएच/ एवरेस्ट/ टाटा संपन्न
अनाज/दाल/पोहा	टाटा संपन्न
खाने की मेज पर टेबल नमक/काली मिर्च (पाउडर) और चाट मसाला	कैच/ एमडीएच/ एवरेस्ट/ टाटा संपन्न
शुगर क्यूब	पतंजलि/धामपुर/ट्रस्ट/मधुर

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्राजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

चाय	पतंजलि/टाटा चाय/वाघ बकरी/गिरनार
ऊपर बताए गए के अलावा अन्य सभी उपभोग्य वस्तुएं	प्रीमियम गुणवत्ता

- a) तैयार किए गए भोजन का उपयोग विशिष्ट सेवा के लिए किया जाएगा और बचा हुआ भोजन अगली भोजन सेवा के दौरान नहीं परोसा जाएगा।
- b) ठेकेदार किराने की वस्तुओं और सामग्री की खरीद के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार को सांकेतिक सामग्री का उपयोग करना होगा। भोजन अच्छी गुणवत्ता वाले परिष्कृत खाद्य तेल आदि में तैयार किया जाना है। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल का किसी अन्य खाना पकाने के उद्देश्य से पुनः उपयोग नहीं किया जाता है। खाना पकाने के लिए पामोलीन तेल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैंक अधिकारी नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेंगे और उन्हें उपयोग की जाने वाली उपभोग्य वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए।
- c) संविदाकार खाद्य पदार्थों को समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी सामग्री का भंडारण करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार, अपने जोखिम पर, खरीद और भंडारण करेगा। ठेकेदार बिना किसी लागत के बैंक द्वारा प्रदान किए गए भंडारण स्थान का उपयोग कर सकता है। तथापि, यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपने स्थान पर और अपनी लागत पर की जाएगी।
- d) मेनू के समग्र दायरे के भीतर, विशिष्ट अतिथियों/विशेष अवसरों/कार्यक्रमों/कार्यों के लिए मेनू में बदलाव किया जा सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा वांछित है।
- e) यदि अतिथि चिकित्सा कारणों से डाइनिंग हॉल में नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें रूम सर्विस प्रदान की जाएगी। ठेकेदार किसी भी मामले में सभी सदस्यों को कुशल और त्वरित सेवा प्रदान करेगा। असाधारण मामलों में, विक्रेता को चिकित्सा आधार पर मेहमानों द्वारा निर्दिष्ट भोजन तैयार करना पड़ सकता है।
- f) मेहमानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं: ठेकेदार बैंक के साथ समझौते के अनुसार मेहमानों को सुविधाएं प्रदान करेगा। स्वागत किट का प्रावधान जिसमें बोतलबंद पानी, एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और चाय/कॉफी/ग्रीन टी/चीनी/दूध पाउच, बिस्कुट के 2 पैकेट आदि शामिल हैं।
 - i. टीएचएच क्षेत्र में रखे डिस्पेंसर से प्रत्येक कब्जे वाले कमरे में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। डिस्पेंसर में पानी की व्यवस्था ठेकेदार खुद करेंगे।
 - ii. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनः प्रयोज्य जग/पानी की बोतलों को नियमित हाउसकीपिंग/दैनिक सफाई गतिविधि के भाग के रूप में नियमित आधार पर भरा जाना है।
 - iii. प्रतिदिन प्रत्येक कमरे में चीनी, चाय, ग्रीन टी, कॉफी, दूध, बिस्कुट आदि के 02 पाउच उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भुगतान के आधार पर मेहमानों द्वारा अनुरोध पर अतिरिक्त पाउच प्रदान किए जा सकते हैं।
 - iv. दैनिक एक अंग्रेजी समाचार पत्र सभी कब्जे वाले कमरों (वीओएफ, टीएचएच कमरे) में प्रदान किया जाना चाहिए।
 - v. आवंटन पर कमरे में एक स्वागत किट प्रदान की जानी चाहिए (VOF/THH में)। यह विक्रेता द्वारा प्रदान किया जाएगा जो बदले में वास्तविक उपयोग के आधार पर बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। किट की कुल लागत नीचे उल्लिखित होगी और मासिक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
 - vi. सभी वीओएफ और टीएचएच के लिए स्वागत किट, चाय/कॉफी/ग्रीन टी/चीनी/दूध पाउच, बिस्कुट के 02

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स प्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा पैकेट आदि का प्रावधान। प्रदान की गई सामग्री नीचे उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए:

स्वागत किट (एक थैली में प्रदान किया जाना है)		
आइटम	मात्रा प्रति किट	ब्रांड
साबुन	1	पतंजलि/कबूतर/नाशपाती/या समकक्ष
टूथपेस्ट और टूथब्रश	1 प्रत्येक	पतंजलि/डाबर/विठोबा/कोलगेट
शैम्पू के पाउच	2	पतंजलि/हिमालय/पैंटीन/सनसिल्क/डब/हेड एंड शोल्डर्स,
डिटर्जेंट के पाउच	2	पतंजलि/टाइड/सर्फ एक्सेल
टैल्कम पाउडर	1	हिमालय/पतंजलि/पॉन्डस/गोदरेज,
बालों के तेल के पाउच	2	डाबर, गोदरेज, बादाम की बूंदें
शेविंग किट (डिस्पोजेबल रेजर, शेविंग क्रीम/जेल आदि)	1	रेजर- जिलेट, 7O'clock, Laser 3, सुपरमैक्स, पुखराज शेविंग क्रीम - पामोलिव, गोदरेज, ओल्ड स्पाइस, जिलेट, पार्क एवेन्यू, एक्स, निविया, डेनिम, डेटॉल
पॉकेट कंघी	1	कोई भी मानक मेक
छोटे हाथ प्रक्षालक	1	सावलॉन/हिमालय/डेटॉल
डिस्पोजेबल मास्क	1	कोई भी मानक मेक
चीनी पाउच (5 ग्राम)	4 प्रति दिन	कोई भी मानक मेक
चाय/काँफी/ग्रीन टी	प्रति दिन 4 प्रत्येक	टेटली/पतंजलि/आईटीसी/ट्विनिंग्स/टाइफू/नेस्कैफे/ब्रू/ऑर्गेनिक इंडिया
मिल्क पाउडर पाउच (5 ग्राम)	4 प्रति दिन	अमूल एवरीडे या समकक्ष
बिस्कुट के छोटे पैकेट	2 प्रति दिन	कोई भी मानक मेक (बेकरी बिस्किट)
मिनरल वाटर बोतल	2 प्रति दिन	बिसलेरी/एक्वाफिना

नोट: वेलकम किट के लिए भुगतान खपत और अधिभोग के आधार पर ₹240/किट (लगभग) की दर से किया जाएगा।

- i. विक्रेता को रहने वाले कर्मचारी को प्रतिदिन एक मानक समाचार पत्र उपलब्ध कराना होगा। विक्रेता को मासिक आधार पर बिल के उत्पादन पर समाचार पत्र की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

a) सामान्य प्रावधान और रखरखाव:

1. दीवार घड़ियों, एसी रिमोट, टीवी रिमोट आदि के लिए सेल का प्रावधान।
2. सभी सामान्य क्षेत्रों और कमरों में इलेक्ट्रिक मच्छर भगाने वाली मशीनों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मच्छर विकर्षक के लिए रिफिल।
3. ठेकेदार निर्धारित सामग्री के साथ स्थानों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स बनाए रखेगा।
4. ठेकेदार एचआरएमडी के नोडल अधिकारी को आपात स्थिति, बीमारी की शिकायत, दुर्घटना दुर्घटना आदि के

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा बारे में तुरंत सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

5. ठेकेदार को अतिथियों की निर्बाध सेवा के लिए बैंक द्वारा यथा अपेक्षित अनुबंध कर्मचारी/कामगार (रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, कुक, हाउसकीपर, वेटर/किचन हेल्पर, माली आदि) की आवश्यक/उचित संख्या प्रदान करनी होगी।

6. गद्दे, तकिए, बेड साइड टेबल, बिल्ट-इन अलमारी, स्टडी टेबल और कुर्सी, पर्दे के अंधा, दर्पण, सोफा सेट, सूखे लोहे और इस्त्री टेबल, आदि के साथ किंग साइज बेड सहित कमरे के फर्नीचर प्रत्येक फ्लैट में बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक फ्लैट अच्छी तरह से सुसज्जित है और इसमें आवश्यक फिटिंग और फिक्स्चर और गर्म पानी की व्यवस्था के साथ एक वॉशरूम/शौचालय है। इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग फिक्स्चर बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। डाइनिंग हॉल डाइनिंग टेबल और कुर्सियों से सुसज्जित है। रसोई क्षेत्र में निर्दिष्ट रसोईघर, डिश-वॉश क्षेत्र और स्टोर क्षेत्र शामिल हैं।

7. परिसर में क्रॉकरी, कटलरी और बर्तनों की आपूर्ति

7.1 उपरोक्त परिसर में सभी क्रॉकरी, कटलरी बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।

7.2 एक बार जब ठेकेदार परिसर में उतर जाता है, तो यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि कटलरी, क्रॉकरी, बर्तन आदि अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएं।

8. परिसर के सभी बेडरूम/कमरों के लिए लिनन की आपूर्ति

परिसर के सभी बेडरूम/कमरों के लिए सभी लिनन बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

इसके अलावा, ठेकेदार के पास बैंक द्वारा उसे सौंपे गए लिनन, क्रॉकरी, उपकरण, जहाजों आदि के उचित रखरखाव, रखरखाव और हिरासत की पूरी जिम्मेदारी होगी।

9. सफाई सामग्री की आपूर्ति

सभी सफाई सामग्री और उपकरण बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठेकेदार को बैंक को अग्रिम रूप से आवश्यक सामग्रियों की मांग पत्र उपलब्ध करानी होती है। ठेकेदार बैंक द्वारा प्रदान किए गए सफाई उपकरणों के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

5. अपशिष्ट निपटान प्रबंधन:

a) ठेकेदार निर्धारित क्षेत्र में सूखे और गीले कचरे का एकत्रण, यंत्रीकृत स्क्रीनिंग/मैनुअल सुनिश्चित करेगा। अंत में, ठेकेदार नगर निगम के साथ मिलकर निर्धारित क्षेत्र से उपयुक्त परिवहन और कचरे के निपटान की व्यवस्था करेगा।

b) ठेकेदार अलग-अलग सूखे और गीले कचरे का एकत्रीकरण सुनिश्चित करेगा।

c) ठेकेदार संग्रह क्षेत्र में बैंक द्वारा प्रदान किए गए उपयुक्त आकार और विनिर्देश के पर्याप्त संख्या में डिब्बे बनाए रखेगा।

d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कचरे के संग्रहण/निपटान के लिए तैनात करेगा।

e) कचरे का निपटान दिन में कम से कम दो बार करना होगा। बैंक सूखे और गीले कचरे के लिए क्रमशः उचित आकार के कचरा बैग यानी नीले/काले और हरे रंग के बैग की व्यवस्था करेगा।

6. जनशक्ति की आवश्यकता

a) ठेकेदार को कार्य के दायरे में यथा उल्लिखित हाउसकीपिंग और कैटरिंग प्रचालनों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है। ठेकेदार सुरक्षा विनियमों सहित कामगारों पर लागू सभी सांविधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा दायित्वों के संबंध में सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

b) बैंक के मुख्य कार्यालय, बैंक के कार्टरों और बैंक के पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए न्यूनतम जनशक्ति आवश्यकता के संकेतक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

Sr.no	नौकरी का विवरण	श्रेणी	कर्मचारियों की आवश्यकता
1.	रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर	कुशल	1
2.	रसोइये	कुशल	2
3.	हाउसकीपर्स	अकुशल	12
4.	वेटर/किचन हेल्पर	अकुशल	2
5.	माली	अकुशल	1
कुल			18

ठेकेदार कार्य के दायरे में उल्लिखित जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने के लिए उपरोक्त न्यूनतम जनशक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कार्य के पूर्ण दायरे को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई अतिरिक्त जनशक्ति ठेकेदार द्वारा आवश्यकता, यदि कोई हो, के अनुसार प्रदान की जाएगी। संविदाकार करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऊपर यथा उल्लिखित नियोजित जनशक्ति के लिए व्यय का दावा करने का हकदार है।

- I. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित सेवा वितरण मानक से समझौता किए बिना इष्टतम अपेक्षित स्टाफिंग बनाए रखी जाए। ठेकेदार पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मासिक उपस्थिति रजिस्टर को बिल के साथ बैंक को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार श्रमिकों को बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान का रिकॉर्ड भी रखेगा, और श्रमिकों से प्राप्त एक महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसे बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- II. ऊपर उल्लिखित आवश्यकता से अधिक और उससे अधिक जनशक्ति की किसी भी अतिरिक्त तैनाती का भुगतान वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाएगा। जनशक्ति की अतिरिक्त तैनाती भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी की पूर्व सहमति से की जाएगी। ठेकेदार मौजूदा वेतन संरचना की आवश्यकता के अनुसार, यदि बैंक के अन्य स्थानों पर आवश्यक हो, तो अतिरिक्त जनशक्ति भी सुनिश्चित करेगा।

III. ठेकेदार द्वारा तैनात मानव संसाधन की योग्यता, कौशल और अनुभव निम्नानुसार होना चाहिए:

1. रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर:
 - i. विनम्र और विनम्र व्यवहार का होना चाहिए।
 - ii. ई-मेल की जांच और जवाब देने के लिए कुशल होना चाहिए, और बिल तैयार करने आदि के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए।
 - iii. यदि आवश्यक हो तो कमरों में मेहमानों के साथ बातचीत करनी चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन/कॉल के माध्यम से उनके आराम के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और अनुरोध किए जाने पर पर्यटक जानकारी के बारे में उनकी सहायता करनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

- iv. कमरों की सफाई, मेहमानों और श्रमिकों के नैतिक उपचार आदि के लिए जिम्मेदार होगा।
- v. यह सुनिश्चित करने में सक्षम होगा कि आने वाले मेहमानों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है।
- vi. किसी भी समस्या को हल करने के लिए अतिथि के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए।
- vii. चिकित्सा आपात स्थिति सहित सभी आपातकालीन स्थितियों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि कोई हो, यहां तक कि विषम घंटों के दौरान भी।
- viii. बैंक द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरण और इन्वेंट्री (क्रॉकरी, फर्नीचर आदि) के लिए जिम्मेदार होगा।
- ix. बैंक के साथ ठेकेदार के संपर्क बिंदु होने में सक्षम होगा।
- x. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटन से पहले और बाद में सभी कमरों की सफाई की जाए।
- xi. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कमरे में सभी फिटिंग कार्य क्रम में हैं।
- xii. अपने प्रभार के तहत सभी हाउसकीपर्स को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें कर्तव्यों का आवंटन करना चाहिए।
- xiii. कमरों में मेहमानों द्वारा किए गए सभी हाउसकीपिंग कॉल का जवाब देना चाहिए और हाउस कीपर्स को असाइन करना चाहिए।
- xiv. बैंक के आवंटन अनुभाग के साथ बातचीत करनी चाहिए और कमरे की बुकिंग की सूची बनाए रखनी चाहिए।
- xv. कमरों को आवंटित करना चाहिए, कमरों की चाबियों को सौंपना चाहिए /
- xvi. मेहमानों से शुल्क एकत्र करने और उचित बिलिंग करने में सक्षम होना चाहिए।
- xvii. शिकायत/फीडबैक रजिस्टर (मानक प्रारूप) बनाए रखें जो मांग पर उपलब्ध होना चाहिए।

2. हाउसकीपर:

- i. झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना चाहिए और कमरे/फर्नीचर को धूल देना चाहिए।
- ii. शौचालयों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
- iii. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रोशनी, नलसाजी फिटिंग, टीवी आदि कार्य क्रम में हैं।
- iv. कमरों के आवंटन से पहले बिजली की आपूर्ति/पानी में कमी के लिए प्लंबर/इलेक्ट्रीशियन को सूचित करना चाहिए।

3. रसोई:

- i. समुद्री खाद्य पदार्थों सहित उत्तर और दक्षिण भारतीय नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज पकाने में पारंगत होना चाहिए।
- ii. रसोई में स्वच्छता बनाए रखना चाहिए।
- iii. रसोई में सहायकों/वेटरों को काम सौंपना चाहिए।
- iv. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेहमानों को कमरों में या डाइनिंग हॉल में समय पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन परोसा जाए।
- v. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बर्तन, क्रॉकरी, रसोई के उपकरण साफ और कार्य क्रम में हैं।
- vi. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रसोई और डाइनिंग हॉल साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे गए हैं।

4. वेटर:

- i. विनम्र, विनम्र, साफ-सुथरा और साफ होना चाहिए।
- ii. मेहमानों को स्वच्छ और स्वच्छ तरीके से भोजन परोसना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

- iii. मेहमानों के साथ पूछताछ करनी चाहिए और अनुरोध पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करना चाहिए।
- iv. मेहमानों को सेवा के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए और अप्राप्य नहीं रखना चाहिए।
- v. तालिकाओं को साफ करना चाहिए और उन्हें तुरंत साफ करना चाहिए।
- vi. प्रत्येक अतिथि को दैनिक आधार पर साफ कांच के जग में स्वच्छ/फ़िल्टर्ड (आरओ / एक्वा गार्ड) पानी प्रदान करना चाहिए और अनुरोध किए जाने पर जगों को फिर से भरना चाहिए।
- vii. सब्जियों को काटने/भंडारण आदि में रसोइयों की सहायता करनी चाहिए।
- viii. रसोइयों को रसोई में उनकी गतिविधियों में सहायता करनी चाहिए और उनके निर्देशानुसार काम करना चाहिए।

5. गार्डनर:

- i. बैंक क्वार्टरों और कार्यालय परिसर में उद्यान, लॉन और बागवानी कार्यों का रखरखाव और रखरखाव।
- ii. बगीचे क्षेत्र में सभी जंगली घास और खरपतवारों को पानी देना, ट्रिम करना, छंटाई करना और हटाना।
- iii. बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अच्छी गुणवत्ता वाली घास के साथ लॉन में सूखे क्षेत्र की पुन खेती।
- iv. आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से कीटों, फफूंद और अन्य रोगों पर नियंत्रण।
- v. बगीचे/लॉन क्षेत्र को साफ-सुथरा रखना जिसमें सूखे/गिरे हुए पत्तों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाना और उनका निपटान करना शामिल है।

5. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:

1. गैस स्टोव, सिलेंडर, ग्राइंडर, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, लिनन के भंडारण के लिए अलमारी और क्रॉकरी/खाद्यान्न आदि के भंडारण की सुविधा जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ रसोईघर।
2. क्रॉकरी, पानी के जग, कटलरी और सभी खाना पकाने के बर्तन/धूपदान, प्रेशर कुकर आदि।
3. कमरों में फर्नीचर, डाइनिंग हॉल, लाउंज, कार्यालय के कमरे आदि।
4. चयनित कमरों और रिसेप्शन में प्रिंटर के साथ कंप्यूटर सिस्टम।
5. सभी बेडरूम/कमरों के लिए लिनन।
6. टीवी, एसी, गीजर, वाशिंग मशीन और वाटर प्यूरीफायर आदि जैसे उपकरण। सभी उपलब्ध पूंजीगत उपकरण जैसा है, जहां स्थिति है, उस पर दिया जाएगा।
7. ठेकेदार बैंक द्वारा सौंपे गए उपकरण/इन्वेंट्री का उचित रखरखाव और रखरखाव सुनिश्चित करेगा। किसी भी उचित उपयोग के टूटने के मामले में, बैंक द्वारा इसकी मरम्मत की जाएगी। तथापि, दुरुपयोग के कारण ठेकेदार के स्टाफ के कारण क्षति अथवा टूट-फूट के मामले में ठेकेदार उसकी मरम्मत करने और उसे इसकी मूल कार्यात्मकता में वापस लाने अथवा क्षतिग्रस्त मद, जैसा भी मामला हो, को बदलने के लिए उत्तरदायी होगा। क्षति/टूट-फूट लापरवाही या सामान्य टूट-फूट के कारण हुई है या नहीं, इसकी सुनवाई की जाएगी और इसका निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर किया जाएगा।
8. गद्दे, तकिए, बेड साइड टेबल, बिल्ट-इन अलमारी, स्टडी टेबल और कुर्सी, पर्दे के अंधा, दर्पण, सोफा सेट, सूखे लोहे और इस्त्री टेबल, आदि के साथ किंग साइज बेड सहित कमरे के फर्नीचर प्रत्येक फ्लैट में बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक फ्लैट अच्छी तरह से सुसज्जित है और इसमें आवश्यक फिटिंग और फिक्स्चर और गर्म पानी की व्यवस्था के साथ एक वॉशरूम/शौचालय है। इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग फिक्स्चर बुनियादी ढांचे

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

का हिस्सा हैं। डाइनिंग हॉल डाइनिंग टेबल और कुर्सियों से सुसज्जित है। रसोई क्षेत्र में निर्दिष्ट रसोईघर, डिश-वॉश क्षेत्र और स्टोर क्षेत्र शामिल हैं।

9. उपरोक्त परिसर में सभी क्रॉकरी, कटलरी बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।

10. एक बार जब ठेकेदार परिसर में उतर जाता है, तो यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि कटलरी, क्रॉकरी, बर्तन आदि अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएं।

11. परिसर के सभी बेडरूम/कमरों के लिए सभी लिनन बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, ठेकेदार के पास बैंक द्वारा उसे सौंपे गए लिनन, क्रॉकरी, उपकरण, जहाजों आदि के उचित रखरखाव, रखरखाव और हिरासत की पूरी जिम्मेदारी होगी।

6. सफाई सामग्री की आपूर्ति

सभी सफाई सामग्री और उपकरण बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठेकेदार को बैंक को अग्रिम रूप से आवश्यक सामग्रियों की मांग पत्र उपलब्ध करानी होती है। ठेकेदार बैंक द्वारा प्रदान किए गए सफाई उपकरणों के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

खंड VIII

निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदी गई उपयुक्त तकनीकी बोली के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान:

दिनांक

:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय में हाउसकीपिंग सेवाएं, क्वार्टर और पट्टे पर फ्लैट और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका कार्यालय पट्टो प्लाजा, पणजी में है, (जिसे इसके बाद "आरबीआई" कहा गया है) ने शीर्षक वाले कार्य (जिसे इसके बाद "संविदा" कहा गया है) के लिए ठेका को दिया है। (नाम का वही ठेकेदार) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे)। और जबकि ठेकेदार उक्त अनुबंध द्वारा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है आरबीआई ₹ की कुल राशि के लिए एक प्रदर्शन सुरक्षा (रुपये) ठेके में निहित निबंधन और शर्तों को उक्त ठेकेदार द्वारा देय पूत के लिए (आंकड़ों तथा शब्दों में) की राशि (आंकड़ों तथा शब्दों में) प्रदान की जाती है। हम (बैंक का नाम) (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) मैसर्स के अनुरोध पर ठेकेदार, एतद्वारा आरबीआई को एक राशि का भुगतान करने का वचन देता है जो अधिकतम नहीं है

२. संविदा के निबंधन एवं शर्तों को सम्यक रूप से पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी के रूप में कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में कार्य किया जाता है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) एतद्वारा सहमत होते हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशिनी से वचन देते हैं कि आरबीआई के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँग किए जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी आपत्ति के रु. (रु. केवल) या उससे कम राशि का भुगतान करेंगे, जिसकी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग की जा सकती है।

हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता रुपये (केवल रुपये) की राशि से अधिक न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

1. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त के रूप में रुपये (केवल रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के किया जाएगा, केवल आरबीआई से मांग पर लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर जिसमें कहा गया है कि राशि बकाया है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और पूछताछ नहीं की जाएगी हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से। बैंक किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और सुस्पष्ट होगी। हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर कर देंगे।

2. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

3. यह गारंटी हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी। हम आगे सहमत हैं कि –

1) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में और/या इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी निषेध या कमीशन या कोई समय प्रदान करने या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप दिखाने या उसके संबंध में कोई अन्य मामला हमें इस गारंटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार से और हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। इस गारंटी का निर्वहन केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के निष्पादन द्वारा किया जाएगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारारुपये से अनधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। (केवल रुपये)।

2) इन उपहारों के अंतर्गत हमारी देयतारुपए से अधिक नहीं होगी। (केवल रुपये)।

3) इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों या उनके दायित्वों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

4) यह गारंटी (दोष देयता अवधि के 90 दिनों के बाद) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा वांछित किया जाता है, तो इस गारंटी को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर इंगित किया जा सकता है।

5) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके बारे में आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी बाद की तारीख हो। जब तक हमारे खिलाफ या किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें मुक्त कर दिया जाएगा और हमें हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके गवाह में, मैंने/हमने बैंक के मैंने/हमने इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस गारंटी को सील कर दिया है
का दिन (माह) (वर्ष) इसके साथ विधिवत अधिकृत किया जा रहा है।

के लिए और की ओर से (बैंक का नाम) अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा नाम:

बैंक की स्टाम्प/सील

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्दगी:

गवाह 1

दस्तख़त

नाम.....

पता.....

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

अनुबंध- I

प्रमाणपत्र

(फर्म के लेटर हेड पर प्रदान किया जाना है)

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस फर्म को भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/संस्थान द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही इस फर्म या उसके मालिक/भागीदारों/भागीदारों के विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला दर्ज/लंबित है।

मैं/हम कभी भी किसी भी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं रहे हैं और न ही मेरे/हमारे/भागीदारों (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म के मामले में मालिक) के खिलाफ पुलिस/अदालत/नियामक प्राधिकरणों में कोई मामला लंबित है।

पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानूनों के उल्लंघन के लिए मुझ पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया या हमें कोई दंड नहीं दिया गया।

मैंने/हमने पिछले 10 वर्षों में अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले मेरे/हमारे किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को कभी भी रद्द/परित्यक्त नहीं किया है।

नहीं तो

मैंने दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया है / छोड़ दिया है जिसके लिए कारण / विवरण नीचे दिए गए हैं।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारी हर तरह से सही है और किसी भी मामले में बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि ऊपर दिया गया कोई भी विवरण गलत है, उपरोक्त फर्म को दिए गए किसी भी अनुबंध को सरसरी तौर पर समाप्त किया जा सकता है और फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

कंपनी प्रोफाइल

(फर्म के लेटर हेड पर प्रदान किया जाना है)

बोलीदाता का नाम		
निगमन/स्थापना की तिथि		
बरतन		
जीएसटी पहचान संख्या		
ईपीएफ पंजीकरण		
ईएसआई पंजीकरण		
श्रम लाइसेंस		
डाक संचार के लिए कार्यालय का पता		
पणजी कार्यालय का पता (यदि कोई हो)		
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवरण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी / फर्म प्राधिकरण, होना संलग्न)	नाम	
	औहदा	
	ईमेल	
	फोन/मोबाइल नं.	
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अलावा अन्य संपर्क का विवरण	नाम	
	औहदा	
	ईमेल	
	फोन/मोबाइल नं.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

समान सेवाओं/कार्यों को संभालने में अनुभव

पिछले पांच वर्षों के दौरान खानपान और हाउसकीपिंग में प्रासंगिक कार्य अनुभव का विवरण (केवल पांच साल का अनुभव रखने वाले निविदाकर्ताओं के लिए (गैर-लगातार), यह पिछले सात वर्षों के भीतर होना चाहिए):

क्रमांक	ग्राहक का नाम	पता	काम की प्रकृति	तैनात कर्मियों की संख्या	अनुबंध की अवधि	अनुबंध की राशि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

* यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें

नोट: सहायक दस्तावेज (खरीद आदेश/कार्य आदेश/ग्राहकों द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र) अनुलग्नक III के साथ संलग्न किए जाने हैं।

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

वार्षिक टर्नओवर विवरण

मूल्यांकन मानदंड	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर	टिप्पणियां
बोली लगाने वाले के पास पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए 31.03.2024 तक कम से कम ₹53,00,000/- (तिरपन लाख रुपये मात्र) औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए।	2023-2024		कृपया चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण पत्र अनुबंध-IV के साथ संलग्न करें (और अन्य कोई सहायक दस्तावेज़ बोलीदाता संलग्न करें)
	2022-2023		
	2021-2022		

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

टैक्स विवरण के बाद लाभ

मूल्यांकन मानदंड	वित्तीय वर्ष	टैक्स पश्चात लाभ (₹)	टिप्पणियां
बोलीदाता को 31 मार्च, 2024 तक पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में लाभ कमाने वाला संगठन (कम से कम कोई तीन वित्त वर्ष) होना चाहिए।	2023-2024		कृपया इस अनुबंध V के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर पश्चात लाभ (पीएटी) (और बोलीदाता द्वारा संलग्न किया जाने वाला कोई अन्य सहायक दस्तावेज) प्रमाणपत्र संलग्न करें।
	2022-2023		
	2021-2022		

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

रनिंग कॉन्ट्रैक्ट का विवरण

क्रमांक	अनुबंध विवरण के साथ ग्राहक का नाम	रनिंग कॉन्ट्रैक्ट/परचेज ऑर्डर/कार्य आदेश सं. & तारीख	कुल धनराशि
1			
2			
3			
3			

नोट: सहायक दस्तावेज (रनिंग कॉन्ट्रैक्ट/खरीद ऑर्डर/ग्राहकों द्वारा जारी वर्क ऑर्डर)। अतिरिक्त पंक्ति के मामले में, बोलीदाता इस शीट के साथ अपने लेटरहेड पर इसे संलग्न कर सकते हैं।

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

अनुबंध-VII

वाणिज्यिक शर्तें

S.no।	विवरण	बैंक की शर्तें	बैंक की शर्तों की स्वीकृति (हाँ/नहीं)
1	वैधता	90 दिन	
2	ईएमडी	₹1,06,000/- (रुपये एक लाख छह हजार मात्र)	
3	भुगतान की शर्तें	भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।	
4	तकनीकी/वाणिज्यिक विनिर्देश	निविदा के भाग-I में विनिर्देशों के अनुसार	
5	श्रमिक	कामकों की तैनाती संबंधी सूचना जनशक्ति आवश्यकता से संबंधित कार्य के दायरे-VII के पैरा 5 के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।	
6	स्वागत किट	नमूना किट प्रस्तुत किया गया	

भाग-II में कोई निबंधन और शर्तें नहीं होनी चाहिए बल्कि केवल मूल्य आधारित मात्रा बिल होनी चाहिए। भाग II में शामिल नियम और शर्तें, यदि कोई हों, मान्य नहीं होंगी या उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान

दिनांक -

विक्रेता के हस्ताक्षर

नाम-

औहदा-

फर्म की मुहर

विक्रेता/फर्म निविदा के साथ निम्नलिखित कामगार का विवरण प्रस्तुत करेंगे:

क्रमांक	विवरण	नहीं। श्रमिकों की संख्या पर विचार किया
1.	योग्य और अनुभवी / प्रशिक्षित प्रबंधक / पर्यवेक्षक की सेवाएं प्रदान करना जो स्वागत/फ्रंट ऑफिस, रसोईघर, हाउसकीपिंग और पूरी सुविधा के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए लगे श्रमिकों के समग्र प्रभारी होंगे, हाउसकीपिंग कार्यों और हाउसकीपर्स को संभालने के लिए पर्यवेक्षकों की सेवाएं प्रदान करना।	
2.	चौबीसों घंटे (24x7 आधार) सफाई, झाड़ू, फर्नीचर की धूल झाड़ने सहित कमरों की सफाई करने के लिए प्रशिक्षित हाउसकीपर प्रदान करना।	
3.	परिसर में बगीचे को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी माली अच्छी तरह से वाकिफ बागवानी गतिविधि प्रदान करना।	
4.	रसोई उपकरणों की सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने सहित रसोई के निरंतर संचालन के लिए उत्तर, दक्षिण भारतीय और महाद्वीपीय व्यंजन तैयार करने में निपुण प्रशिक्षित और अनुभवी रसोइये प्रदान करना।	
5.	प्रशिक्षित और अनुभवी वेटर/किचन हेल्पर प्रदान करना जो मेहमानों को सेवा प्रदान करने में पारंगत हों और जरूरत पड़ने पर रसोइयों की मदद करें।	

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

विक्रेता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

ग्राहक का नाम और पता-

श्री/सुश्री द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण-

1	प्रदान की गई सेवाओं का संक्षिप्त विवरण	
2	अनुबंध राशि	
3	करार सं. और तारीख	
4	समझौते की शर्तों का पालन न करने का विवरण	
5	विक्रेता की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ- a) वित्तीय सुदृढ़ता b) नियम और शर्तों का पालन c) प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता d) लगे हुए श्रमिकों की कुल संख्या	

उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी जिसके तहत आपूर्ति निष्पादित की गई थी।

नाम और पदनाम:

टेलीफोन नं. .:

ई-मेल:

अधोहस्ताक्षरी इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए सक्षम है।

"प्रतिहस्ताक्षरित।

कार्यालय की मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम:

संपर्क क्रमांक

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, जिसमें निष्फल ड्रेसिंग और कपास ऊन की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, को आसानी से सुलभ स्थान पर बनाए रखा जाएगा।
2. घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. कोई भी फर्श, छत या संरचना का अन्य हिस्सा सामग्री से भरा नहीं होगा क्योंकि इसे असुरक्षित प्रदान करना है।
4. नियोजित श्रमिकों को आवश्यकता के अनुसार सुरक्षात्मक जूते, मास्क, हाथ-दस्ताने सहित सुरक्षात्मक गियर प्रदान किए जाएंगे।
5. अग्नि सुरक्षा उपायों का स्थानीय कानूनों के अनुसार पालन किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सुरक्षा संहिता को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझ पर/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर:

दिनांक :

वचन पत्र

(रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा,

पणजी-403001

फर्म/एजेंसी का नाम _____

निविदा का नाम _____ नियत तारीख: _____

1. मैं/हम एतद्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और यह वचन दिया है कि मैं/स्वयं उक्त नियमों और शर्तों का पालन करता हूं।
3. मैं/हम अनुबंध श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ईएसआई अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 सहित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हैं। आदि। मैं/हम ग्रेच्युटी, छुट्टी, राहत प्रभार, वर्दी, और उसके भत्ते, और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करेंगे। मैं/हम समय-समय पर यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार तैनात कर्मियों को वेतन का भुगतान करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पता:

स्थान:

औहदा: संपर्क नंबर:

बैंक रिपोर्ट का प्रारूप

बैंक के मुख्य कार्यालय में और बैंक के कार्टरों और पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा - संबंधित बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कंपनी/फर्म/चिंता के साधनों और स्थिति पर रिपोर्ट:

1. फर्म/एजेंसी/कंपनी का नाम:
2. खाता प्रकार और संख्या:
3. मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम:
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओडी सुविधा:
5. फर्म के व्यवहार की प्रकृति और उस पर राय:
6. वह अवधि जिसके अंतर्गत फर्म/एजेंसी/कंपनी आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही हो।
7. इस बात पर राय कि क्या पार्टी को केवल 53 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपा जाना वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है।
8. कोई अन्य प्रासंगिक प्रतिक्रिया/सूचना/टिप्पणी

शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर के साथ

शाखा पते के साथ बैंक का नाम:

निविदा के लिए आवेदन

बैंक के मुख्य कार्यालय में और बैंक के क्वार्टर और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

1. आवेदक का नाम और पता:
2. व्यक्तिगत या कंपनी या साझेदारी फर्म:
3. निदेशकों और/या भागीदारों (कंपनी या साझेदारी फर्म के मामले में) का नाम, पता और प्रासंगिक अनुभव या एकमात्र स्वामित्व फर्म के मामले में मालिक (ओं) का नाम, पता और प्रासंगिक अनुभव। (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाने हैं)।
4. बोलीदाता के स्वामित्व और नियंत्रण का पूरा विवरण या, यदि बोलीदाता एक साझेदारी, संयुक्त उद्यम या संघ है, तो उसके प्रत्येक सदस्य के स्वामित्व और नियंत्रण का पूरा विवरण।
5. अनुभव: (जहां भी आवश्यक हो अलग शीट का उपयोग करें)
 - गेस्ट हाउस खानपान सेवाएं (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं, जिन्हें संलग्न किया जाना चाहिए।
 - गेस्ट हाउस, हाउसकीपिंग सेवाएं (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं, जिन्हें संलग्न किया जाना चाहिए।(आवश्यक अनुभव के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के बिना निविदा खारिज कर दी जाएगी)।
6. गेस्ट हाउस अनुरक्षण और खानपान संविदाओं में आवेदक द्वारा वर्तमान में नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या के साथ प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता और संगत अनुभव के ब्यौरे की सूची संलग्न करें।
7. बैंकों के नाम:
8. भविष्य निधि कोड:
ईएसआई कोड:
इनकम टैक्स पैन:
जीएसटी नं. :
(कृपया उपरोक्त सभी की प्रतियां संलग्न करें)
9. क्या आवेदक को अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया गया है। यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।
10. विक्रेता की कार्यशील पूंजी का विवरण।
11. क्या विक्रेता आयकर निर्धारिती है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का आयकर विवरणी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा।
12. क्या फर्म/कंपनी के लेखाओं की पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा की गई है। यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति प्रस्तुत करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

13. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। हमने इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए हैं। मैं/हमें किसी भी सरकारी विभाग/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रतिबंधित या डी-लिस्ट नहीं किया गया है/किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है/कोई मामला अदालत / पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित है।

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक: (बोलीदाता का नाम और पता

आधिकारिक मुहर के साथ)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

भाग II

खण्ड I

वित्तीय बोली

मूल्य बोली

बैंक के मुख्य कार्यालय में और बैंक के कार्टर और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

तालिका 01: जनशक्ति प्रभार

क्रमांक (क)	नौकरी का विवरण (ख)	कार्यकर्ता की श्रेणी (ग)	समय सीमा (डी)	नहीं। आवश्यक श्रमिकों की संख्या (ई)	मासिक दर (₹ में) (च)	कुल राशि (₹ में) (मासिक दर x 12) (जी)
1.	रिसेप्शनिस्ट/हाउसकीपिंग सुपरवाइजर	कुशल	मासिक पत्रिका	1	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी। *	
2.	बनाती	कुशल	मासिक पत्रिका	2		
3.	वैटर/किचन हेल्पर	अकुशल	मासिक पत्रिका	2		
4.	गार्डनर	अन-स्किल्ड	मासिक पत्रिका	1		
5.	हाउसकीपर्स	अकुशल	मासिक पत्रिका	12		
6.	कुल जनशक्ति मासिक (1+2+3+4+5)		मासिक पत्रिका	18	* कृपया नीचे दी गई तालिका 2 देखें	
7.	सेवा प्रभार और लाभ माजन: सेवा प्रभागों में प्रबंधकीय/पर्यवेक्षी/बीमा/प्रशासनिक प्रभार/मजदूरी, यदि कोई हो, तैनात जनशक्ति को न्यूनतम मजदूरी के अलावा भुगतान किया जाता है / पहचान पत्र/स्टेशनरी प्रभार/मुद्रण प्रभार/कामगार को सुविधाएं प्रदान करना, आकस्मिक प्रभार, अन्य सांविधिक भुगतान (जैसा लागू हो), टेलीफोन प्रभार और निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य व्यय और लाभ माजन शामिल हैं		मासिक पत्रिका		(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	स्तम्भ एफ एक्स 12
8.	ग्रैंड टोटल (जीएसटी को छोड़कर)				कुल योग = तैनात जनशक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी + सेवा शुल्क (लाभ मार्जिन सहित)	

नोट:-

1. निविदा का मूल्य सांकेतिक सेवा प्रभार @ 4,02,090/- का 10% अर्थात् ₹40,209/- प्रति माह आधार पर विचार करते हुए निकाला जाता है। हालांकि, यह दोहराना है कि उपरोक्त सांकेतिक दर केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। बोलीदाता अपनी गणना के अनुसार सेवा प्रभागों का उल्लेख कर सकते हैं। व्यक्तिगत बोलीदाता के लिए ऊपर दी गई तालिका में कुल योग को मूल्यांकन और ठेका प्रदान करने के लिए संबंधित बोलीदाताओं द्वारा वित्तीय बोली के रूप में माना जाएगा। तथापि, संकेतक दरों से 5% से अधिक और उससे अधिक दरों का उल्लेख करने वाले बोलीदाताओं को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है। बैंक उक्त सबमिशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

2. बोलीदाताओं को केवल मूल्य बोली के सेवा शुल्क घटक पर बोली लगाने की आवश्यकता होती है जैसे कि न्यूनतम मजदूरी और जीएसटी घटक इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संबंधित अधिसूचनाओं पर निर्भर हों।

3. आशयित बोलीदाता उपर्युक्त तालिका 1 में जनशक्ति प्रभागों की गणना करते समय मूल्य बोली की धारा II और तालिका-2 का संदर्भ ले सकते हैं।

4. रिलीवर प्रभागों सहित कुशल और अकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी (वीडीए सहित) की गणना मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार की जाएगी और ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ प्रशासन, ईडीएलआई और बोनस की गणना इस संबंध में मौजूदा सांविधिक कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्र सरकार) के अनुसार की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ऊपर बताए अनुसार न्यूनतम मजदूरी के प्रयोजन के लिए गोवा को क्षेत्र-ख के अंतर्गत रखा गया है।

5. नमूना गणना शीट मूल्य बोली के खंड II में संलग्न की गई है।

निर्देश और शर्तें: -

a) मासिक बिल प्रस्तुत करने पर उपरोक्त उद्धृत दरों पर बैंक द्वारा जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विक्रेता/सफल बोलीदाता बैंक को प्रस्तुत मासिक चालान में अपनी अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रचलित दरों पर या जीएसटी चार्ज करेगा।

b) एजेंसी द्वारा उद्धृत सेवा प्रभाग संविदा की संपूर्ण अवधि के दौरान नियत रहेगा।

मैं/हम सहमत हैं कि वित्तीय बोली अस्वीकार की जा सकती है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।

मैं/हम ई-निविदा के नियमों और शर्तों का अध्ययन कर चुके हैं और उनसे सहमत हैं।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक :

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

खंड II

	घटक	कुशल (रु. में)	अकुशल (रु. में)
	सीएलसी अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार न्यूनतम वेतन (रु. में)	893	674
	कार्यदिवसों की संख्या (रिलीवर के शुल्क को छोड़कर)	26	26
	कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)	3	15
1	आधार मजदूरी प्लस वीडिए X 26	69,654.00	2,62,860.00
2	ईएसआईसी (मूल वेतन प्लस वीडिए का 3.25%) {यह उन लोगों के लिए योगदान दिया जाता है जिनकी मूल मजदूरी प्लस वीडिए, ₹21,000 से कम है}	0.00	8542.95
3	ईपीएफ (मूल वेतन प्लस वीडिए का 12%) {मूल प्लस वीडिए ईपीएफ गणना के लिए प्रति माह ₹ 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन है}	5400.00	27,000.00
4	प्रशासनिक प्रभार (मूल वेतन प्लस वीडिए का 0.5%) {मूल प्लस वीडिए ईपीएफ गणना के लिए ₹15,000/- प्रति माह की अधिकतम सीमा के अधीन है}	225.00	1125.00
5	ईडीएलआई (मूल वेतन प्लस वीडिए का 0.5%) {मूल प्लस वीडिए ईपीएफ गणना के लिए ₹15,000/- प्रति माह की अधिकतम सीमा के अधीन है}	225.00	1125.00
6	बोनस @ बेसिक प्लस वीडिए का 8.33%	0.00	21,896.24
7	उप-योग	75,504.00	3,22,549.19
8	पर्यवेक्षक के लिए रिलीवर	4036.36	0.00
9	कुल	79,540.36	3,22,549.19
	कुल	₹4,02,089.55 ~ 4,02,090/-	

गणना सीएलसी द्वारा 01-04-2008 से अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर आधारित है। 1 अप्रैल, 2025।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय, कार्टरों और पट्टे पर फ्लैटों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए और बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स, गोवा में सुविधाओं के प्रबंधन (खानपान सहित) और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

तालिका 2: वेतन के सांविधिक घटक लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन हैं जो नीचे दर्शाए गए हैं। ये परिवर्तन के अधीन हैं और नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1.	12%	ईपीएफ योगदान @ 2,70,000/- का 12% (18 व्यक्ति x 15000 न्यूनतम मजदूरी)	(प्रति माह ₹ 15,000 वेतन या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि की अधिकतम सीमा के अधीन)
2.	0.5%	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क @ 2,70,000/- का 0.5% (18 व्यक्ति x 15000 न्यूनतम मजदूरी)	(प्रति माह ₹ 15,000 वेतन या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि की अधिकतम सीमा के अधीन)
3.	0.5%	ईडीएलआई योगदान @ 2,70,000/- का 0.5% (18 व्यक्ति x 15000 न्यूनतम मजदूरी)	(प्रति माह ₹ 15,000 वेतन या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि की अधिकतम सीमा के अधीन)
4.	3.25%	व्यवस्थापक शुल्क सहित कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता योगदान, यदि कोई @ 3.25% हो	(लागू नहीं यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹ 21,000 से अधिक है या समय-समय पर ईएसआईसी द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य राशि)
5.	8.33%	बोनस @ 8.33%	(लागू नहीं होता है यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000 से अधिक है या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अपडेट की गई कोई अन्य राशि)